



सत्यमेव जयते

शहरी स्थानीय निकायों
पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तर प्रदेश सरकार



विषय सूची

विषय सूची	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
अध्याय—I		
शहरी स्थानीय निकायों पर विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	01
स्थानीय निकायों में प्रशासनिक संगठन	1.2	02
कार्यों का हस्तान्तरण	1.3	03
राजस्व के स्रोत	1.4	03
निधियों का उपभोग	1.5	05
शहरी स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति	1.6	06
आंतरिक नियंत्रण	1.7	07
लेखांकन व्यवस्थायें	1.8	08
लेखापरीक्षा व्यवस्थायें	1.9	08
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण सौंपे जाने की स्थिति।	1.10	09
अन्य बिन्दु	1.11	10
निष्कर्ष	1.12	10
अध्याय—II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
आदर्शनगर योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा		11
अध्याय—III		
लेन देनों की लेखापरीक्षा		
निष्फल व्यय	3.1	37
परिहार्य व्यय	3.2	37
अनियमित व्यय	3.3	38
परिहार्य व्यय	3.4	39
निधि का अवरोधन	3.5	40

परिशिष्टियां		
विवरण	संदर्भ	पृष्ठ संख्या
कर संग्रह में बकाया	1.1	43
रोकड अवशेष का मिलान न किया जाना	1.2	46
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन के बिना परियोजनाओं की संस्वीकृति	2.1	48
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की अनदेखी करना	2.2	50
दिशा निर्देशों के उल्लंघन में निधियों की अवमुक्ति	2.3	51
शहरी स्थानीय निकाय के अंश जमा करने में विलम्ब तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निधियों की विलम्बित अवमुक्ति	2.4	54
राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएँ	2.5	56
अधिक व्यय	3.1	58

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2001 में सौंपे जाने के उपरान्त भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लेखे के समुचित अनुरक्षण और उनकी लेखापरीक्षा पर तकनीकी दिशा निर्देशन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) के निर्बंधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के लेखों के लेखापरीक्षण के फलस्वरूप, वर्ष 2010-11 में पायी गयी मुख्य आपत्तियों का एकीकरण है।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश शासन के शहरी स्थानीय निकायों की कार्य शैली का विहंगावलोकन तथा प्रशासकीय विभागों का ध्यानाकर्षण एवं आवश्यकतानुसार समुचित कार्यवाही एवं सुधार करना है।

वर्ष 2010-11 की अवधि में 190 शहरी स्थानीय निकायों की लेखाओं की नमूना जांच में संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय-1

शहरी स्थानीय निकायों पर विहंगावलोकन

1.1 परिचय

सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अन्तिम पायदान तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को क्रियान्वित किया था। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना था। अग्रेतर चौहत्तरवें संविधान संशोधन (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, कार्यकलापों और निधियों के अन्तरण तथा हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढांचे, के अन्तर्गत नगर निगम¹ (न.नि.), नगर पालिका परिषदें (न.पा.प.)² और नगर पंचायतों (न.पं.)³ को और अधिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियां हस्तांतरित की गयी।

चौहत्तरवें संविधान संशोधन के उपबन्धों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया। राज्य में 630 शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि सामान्यतः पंचवर्षीय अवधि के लिए चुने गये सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा शासित होते हैं। इन 630 शहरी स्थानीय निकायों के लिए अंतिम निर्वाचन वर्ष 2006 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या की रूपरेखा निम्नवत थी:—

शहरी स्थानीय निकायों की संख्या और नाम	कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	औसत क्षेत्रफल/शहरी स्थानीय निकाय (वर्ग कि.मी.) ⁴	कुल जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) (लाख में)	औसत जनसंख्या (लाख में)	जनसंख्या घनत्व औसत प्रति वर्ग कि.मी. (लाख में)
13 नगर निगम	1,451.92	111.69	136.08	10.47	0.09
194 नगर पालिका परिषद	1,960.40	10.11	129.75	0.67	0.07
423 नगर पंचायतें	1,736.33	4.10	61.19	0.14	0.04
योग 630 शहरी स्थानीय निकाय	5,148.65	8.17	327.02	0.52	0.06

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

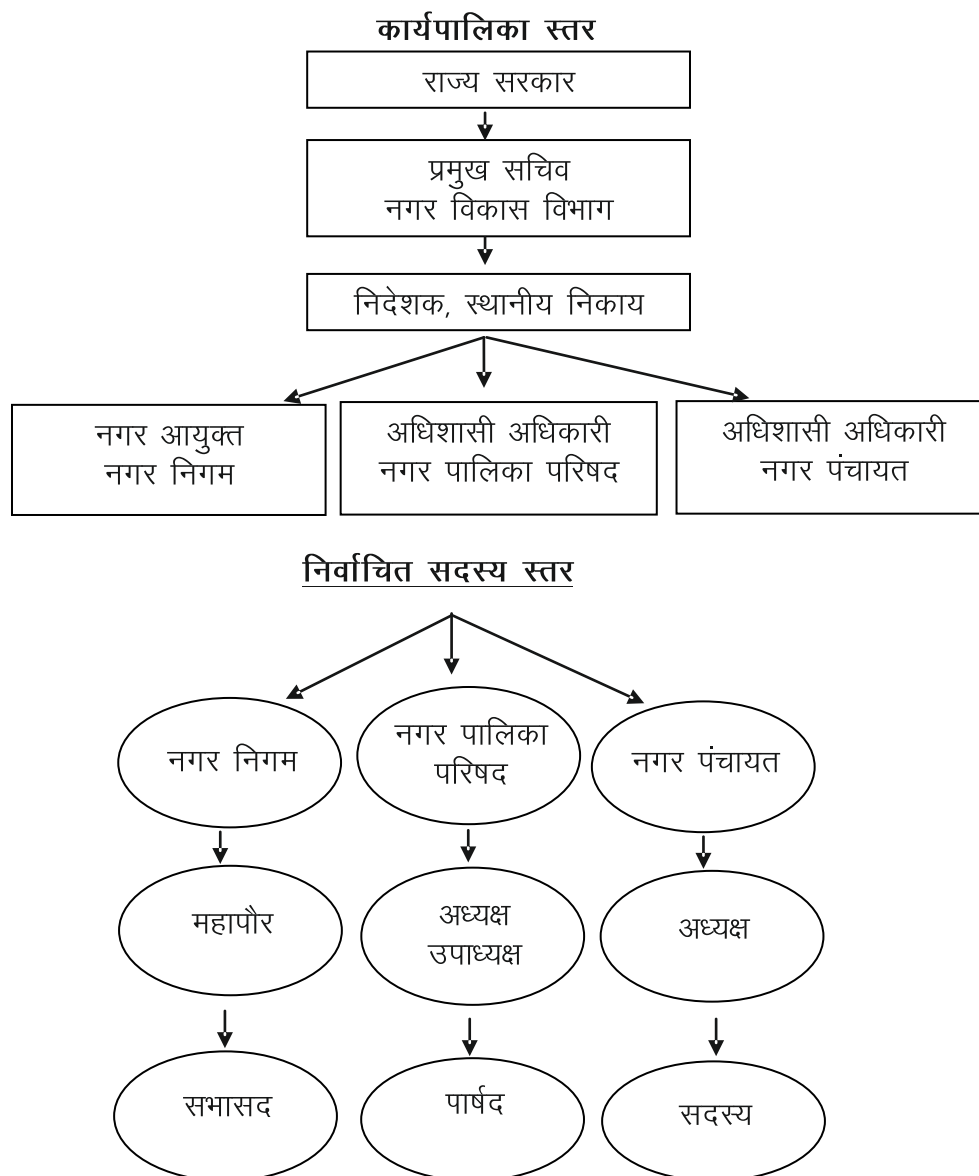
¹ पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करता है।

² 20 हजार एवं पाँच लाख के मध्य जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करता है।

³ 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय को निरूपित करता है।

⁴ 1991 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल।

1.2 स्थानीय निकायों का प्रशासनिक संगठन



नगर निगम में जहाँ मेयर अध्यक्ष होता है, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की अध्यक्षता सभापति करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों के मामलों में “नगर आयुक्त” और नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के मामलों में “अधिशाली अधिकारी” प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

1.3 कार्यों का हस्तान्तरण

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुपालन हेतु राज्य की विधायिका ने 18⁵ (संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल) में से 13 कार्यों/कार्यक्रमों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के लिए कानून अधिनियमित किये और पांच⁶ कार्यक्रम हस्तान्तरित करने से रह गये। इसके साथ-साथ एक कार्यक्रम—वाहनों के लिए पार्किंग स्थान (संविधान की बारहवीं अनुसूची से परे) भी हस्तान्तरित किया गया। हालांकि, दिसम्बर 2011 तक 14 हस्तान्तरित कार्यक्रमों में से छः कार्यों⁷ के सापेक्ष न तो कार्य व क्रियाकलाप और न ही निधियां शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की गयी थी।

इस प्रकार कार्य/क्रियाकलापों एवं निधियों के आंशिक हस्तान्तरण के कारण शहरी स्थानीय निकायों के क्रियाकलाप सीमित रहे।

1.4 राजस्व के स्रोत

1.4.1 राजस्व प्रवाह

ग्यारहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को प्रथम बार वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की संचित निधि में वृद्धि द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति करना था। तदनुसार बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदानों को अवमुक्त किये जाने की सिफारिश किया। राज्य सरकार ने भी अपने राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों को अवमुक्त किया। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्रोत निम्नवत हैं:-

- बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सौंपे गये अनुदान (अवधि 2006-11)
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य में कुल कर राजस्व प्राप्तियों के शुद्ध आगम का 7 प्रतिशत अंश दिया जाना।
- शहरी स्थानीय निकायों में स्थानान्तरित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निधियों का अन्तरण।

⁵(i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित हैं, (ii) भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन, (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन, (iv) मार्ग एवं सेतु, (v) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एवं घरेलू उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति, (vi) अग्नि सेवाएं, (vii) शहरी स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, (viii) शहरी वानिकी पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष की उन्नति, (ix) समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों के हितों की सुरक्षा, (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण, (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन, (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे- पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान, (xiii) शैक्षिक, संस्कृतिक एवं सौन्दर्य पक्ष की प्रोन्नति, (xiv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह, (xv) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम, (xvi) जन्म, मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी, (xvii) जन सुविधाएं- स्ट्रीट लाइट, बस अड्डा, पार्किंग एवं जन-यातायात, (xviii) स्लाटर हाऊस एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

⁶(i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है, (ii) भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन, (iii) मार्ग एवं सेतु, (iv) अग्निशमन सेवाएं, (v) शैक्षिक, संस्कृतिक एवं सौन्दरीकरण की प्रोन्नति।

⁷(i) आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नियोजन, (ii) शहरी वानिकी, (iii) समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षण, (iv) शहरी गरीबी उन्मूलन, (v) मलिन बस्तियों का सुधार एवं उच्चीकरण, (vi) वाहनों के लिए पार्किंग स्थल।

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व, जैसे—कर, किराया, शुल्क, टैक्सी स्टैंड आदि।

1.4.2 सकल प्राप्तियां

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2006—11 की अवधि में बारहवां वित्त आयोग, तेरहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त किये गये अनुदान एवं अपने निजी स्रोतों से अर्जित की गयी धनराशियां निम्नवत् थी—

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बारहवां/तेरहवां वित्त आयोग (कुल प्राप्तियों का प्रतिशत)	राज्य वित्त आयोग (कुल प्राप्तियों का प्रतिशत)	निजी स्रोतों से (कुल प्राप्तियों का प्रतिशत)	योग
1	2006—07	103.40 (5)	1,518.00 (73)	448.36 (22)	2,069.76
2	2007—08	103.40 (4)	1,838.43 (71)	662.23 (25)	2,604.06
3	2008—09	103.40 (4)	1,985.64 (68)	841.95 (29)	2,930.99
4	2009—10	103.40 (4)	2,120.58 (71)	751.37 (25)	2,975.35
5	2010—11	274.92 (7)	2,565.68 (68)	941.53 (25)	3,782.13
	योग	688.52 (5)	10,028.33 (70)	3,645.44 (25)	14,362.29

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ)

तालिका से परिलक्षित होता है कि शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों में मुख्य अभिदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान एवम् अपने निजी स्रोतों से अर्जित आय थी।

1.4.3 राज्य वित्त आयोग अनुदान का सौंपा जाना

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य सरकार के कर राजस्व के निवल उत्पाद का 7.5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना चाहिए था जबकि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार निधि के अंश का 7 प्रतिशत कर दिया गया। 2006 से 2011 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित निधियों एवं वास्तविक अवमुक्त निधियों के अन्तरण निम्नवत् किये गये थे:—

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार के कर राजस्व का निवल उत्पाद	अन्तरित की जाने वाली निधि	निधियां जो वास्तव में अन्तरित की गयी	कम अवमुक्त (प्रतिशत) (कालम 3—4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006—07	22,998	1,725	1,518	207 (12)
2007—08	24,959	1,872	1,838	34 (2)
2008—09	28,659	2,149	1,986	163 (8)
2009—10	33,877	2,541	2,121	420 (17)
2010—11	43,464	3,042	2,566	476 (16)
योग	1,53,957	11,329	10,029	1,300 (11)

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

तालिका से स्पष्ट है कि सरकार ने वर्ष 2006—11 की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुसंधानानुसार कर—राजस्व के निवल उत्पाद का निर्धारित प्रतिशत अन्तरित नहीं किया। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2006—11 के दौरान कुल कम अन्तरण ₹ 1,300 करोड़ (11 प्रतिशत) था।

निधियों के अन्तरण में कमी के कारण शहरी स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निवासियों को तृणमूल स्तर तक की अच्छी जन सुविधाओं को प्रदान करने से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर होने का अवसर भी नहीं प्राप्त हुआ।

1.5 निधियों का उपभोग

1.5.1 केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर निम्न तालिका में बारहवें एवं तेरहवें वित्त एवं राज्य वित्त आयोगों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों एवं वर्ष 2006—11 के दौरान माह अक्टूबर 2011 तक के उपभोग की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

अनुदान का नाम	वर्ष	उपलब्ध निधियां	उपभोग की गयी निधियां	उपभोग न की गयी निधियां
बारहवां वित्त आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग	2006—07	103.40	103.40	—
	2007—08	103.40	103.40	—
	2008—09	103.40	103.40	—
	2009—10	103.40	103.40	—
	2010—11	274.92	274.92	—
राज्य वित्त आयोग	2006—07	1,518.00	1,518.00	—
	2007—08	1,838.43	1,838.43	—
	2008—09	1,985.64	1,985.64	—
	2009—10	2,120.58	2,120.58	—
	2010—11	2,565.68	2,565.68	—

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ)

आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियों को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेखों में अन्तिम व्यय के रूप में मानी गयी थी एवं इकाईयों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं थी।

1.5.2 निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय निवासियों से कर किराया व शुल्क आदि संग्रहण के द्वारा राजस्व का सृजन करना चाहिए था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2008-11 के दौरान शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों के नाम एवं संख्या	2008-09		2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
नगर निगम-13	364.16	581.31 (160)	478.78	527.57 (110)	810.00	676.67 (84)
नगर पालिका परिषद-194	193.98	216.91 (113)	149.96	178.37 (119)	240.80	211.79 (88)
नगर पंचायत-423	50.64	43.73 (86)	40.53	45.43 (112)	61.44	53.07 (86)
योग	608.78	841.95	669.27	751.37	1,112.24	941.53

(स्रोत: निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम प्राप्ति हुई थी जबकि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य से अत्यधिक प्राप्ति थी।

अग्रेतर नमूना जांच में यह भी संज्ञान में आया कि 21 नगर पालिका परिषदों और 79 नगर पंचायतों ने वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 28.49 करोड़ की मांग सृजित की थी जिसमें पूर्व वर्षों के अवशेष देयों ₹ 16.40 करोड़ भी शामिल थे। वर्ष 2009-10 के दौरान कुल मांग में से मात्र ₹ 8.57 करोड़ की ही वसूली हुयी थी तथा शेष ₹ 19.92 करोड़ अभिलेखानुसार अकारण ही बिना वसूली के पड़ा रहा। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति इस सीमा तक प्रभावित रही (परिशिष्ट 1.1)

1.6 शहरी स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति

शहरी स्थानीय निकायों के वित्त से सम्बन्धित डाटा बेस नहीं बनाये गये थे। परिणामस्वरूप राज्य में समस्त शहरी स्थानीय निकायों की समग्र वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने वाले मद प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्तियां, व्यय तथा अन्तिम अवशेष सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

वर्ष 2008-11 की अवधि के दौरान सम्प्रेक्षा में नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की वर्षवार वित्तीय स्थिति (2007-08 : 75, 2008-09 : 153 एवं 2009-10 : 191) नीचे दी जा रही है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	व्यय (प्रतिशत)	अन्तिम अवशेष
नगर निगम						
2007-08	8	211.44	1,002.22	1,213.66	688.71 (57)	524.95
2008-09	10	724.34	1,837.40	2,561.74	1,616.10 (63)	945.64
2010-11	10 ⁸	950.03	1,748.35	2,698.38	1,996.72 (74)	701.66
नगर पालिका परिषद						
2007-08	22	27.62	121.36	148.98	110.75 (74)	38.23
2008-09	52	130.74	347.68	478.42	350.16 (73)	128.26
2010-11	72	140.14	483.92	624.06	501.61(80)	122.45
नगर पंचायत						
2007-08	45	11.08	41.72	52.80	39.91 (76)	12.89
2008-09	91	25.89	81.68	107.57	84.88 (79)	22.69
2010-11	108	27.45	103.27	130.72	102.87 (79)	27.85

(स्रोत: ए0आई0आर0रजिस्टर 2010-11)

यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2007-10 के दौरान शहरी स्थानीय निकाय प्राप्त निधियों के सापेक्ष व्यय नहीं कर सके। उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय के प्रतिशत नगर निगमों के मामले में 57 से 74, नगर पालिका परिषद के मामले में 73 से 80 तथा नगर पंचायतों के मामले में 76 से 79 तक रहे। परिणामस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उनके पास विशाल धनराशि बिना व्यय के अवशेष पड़ी रही जो कि समयबद्ध तरीके से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निधियों के कम उपभोग एवं कमजोर नियोजन को प्रदर्शित करता है।

1.7 आन्तरिक नियन्त्रण

- नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के बिलों की पूर्व जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार बिना पूर्व जांच के ही बिलों का भुगतान किया जा रहा था।
- उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल लेखा संहिता के नियम 67 में निहित शर्तों के अनुसार अधिशासी अभियंताओं और सहायक अभियंताओं द्वारा माप पुस्तिका में अंकित किये गये कार्यों की कमशः 5 और 25 प्रतिशत तक की जांच/सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। शहरी निकायों की नमूना जांच में पाया गया कि मापों की जांच एवं सत्यापन तदनुसार नहीं किया गया था।

⁸नगर निगम, वाराणसी की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

1.8 लेखांकन व्यवस्थायें

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण प्रारूप को अपनाना।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक्रूवल आधार पर बजट एवं लेखाकरण पद्धति का प्रारूप निर्धारित किया गया, जिसकी स्वीकृति के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को परिपत्र जारी किया था (जून 2003)। राज्य सरकार ने प्रारूपों को स्वीकार तो कर लिया था परन्तु उसे नवम्बर 2011 तक लागू नहीं कर सकी थी।

निर्धारित प्रारूपों में लेखाओं का रख रखाव न किये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निर्धारण नहीं किया जा सका।

- रोकड़ शेषों का मिलान न किया जाना।

प्रत्येक माह के अंत में प्राप्तियों एवं व्ययों के प्रत्येक मदों का मिलान रोकड़ बही एवं कोषागार/बैंकों के विवरणों से किया जाना चाहिए। यदि कोई अंतर हो तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। तथापि 01 नगर निगम, 10 नगर पालिका परिषदों एवं 23 नगर पंचायतों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2010 तक रोकड़ बही एवं कोषागार/बैंक विवरणों के मध्य कुल ₹ 17.99 करोड़ की भिन्नता थी। नगर निगम लखनऊ के बैंक खातों में 31 मार्च 2010 को ₹ 13.81 करोड़ कम था, भिन्नताओं के समाधान न किये जाने की स्थिति में निधियों के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता (परिशिष्ट 1.2)।

1.9 लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

- उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय, लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अनुसार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा हेतु प्राथमिक लेखा परीक्षक है। निदेशक स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा द्वारा प्रेषित सूचनाओं (अक्टूबर, 2011) के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान मानव शक्तियों की कमी के फलस्वरूप शहरी, स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा 6 से 13 प्रतिशत तक बकाया थी। लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों एवं वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	लेखा परीक्षा की जाने वाली इकाईयों की संख्या	वास्तव में लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	बकाया इकाईयां	बकाया प्रतिशत में
2008-09	623	585	38	6
2009-10	623	556	67	11
2010-11	624	542	82	13

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार)

- तकनीकी मार्ग निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देश पर कार्यालय महालेखाकार द्वारा की गयी नमूना जांच प्रतिवेदन की शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की गयी कार्यवाहियों पर नजर रखने हेतु निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को भेजा जायेगा। निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा द्वारा महालेखाकार की लेखापरीक्षा प्रस्तारों की अनुपालन आख्या उसी प्रकार सुनिश्चित करेगा जैसे कि यह उसी के द्वारा की गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हों। वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय द्वारा भेजे गये प्रस्तारों के निस्तारण के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, इलाहाबाद द्वारा बताया गया कि मानव शक्ति की कमी के कारण किसी भी प्रस्तर का निस्तारण नहीं किया जा सका।
- उत्तर प्रदेश के निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984 के नियम 8 (3) के उपबन्धों के अधीन निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा से अपेक्षित था कि वह शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को समेकित विवरण तैयार करके विधायिका के समक्ष रखने हेतु सरकार को प्रस्तुत करें। यह पाया गया कि जहां वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 तक के बनाये गये थे वहीं मात्र 2007-08 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ही विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।

1.10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, सौंपे जाने की स्थिति।

- शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के सही ढंग से रखरखाव एवं उन पर लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्ग निर्देशन एवं पर्यवेक्षण ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया। अक्टूबर 2001 में सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कार्य सौंप दिया।
- वर्ष 2010-11 के दौरान वर्ष 2009-10 के सम्बन्ध में 10 नगर निगमों, 72 नगर पालिका परिषदों तथा 108 नगर पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी और शहरी

स्थानीय निकायों की सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को इकाईयों के कार्यालयाध्यक्षों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को जिसमें कमजोर वित्तीय प्रबन्धन, निष्फल एवं अधिक व्यय सम्बन्धी अनियमितताओं, निधियों के व्ययावर्तन तथा राजस्व क्षति आदि पर 2,507 प्रस्तर वर्ष 2006-11 के दौरान भेजे गये थे। यद्यपि कि इन प्रस्तरों की अनुपालन आख्या (नवम्बर 2011) तक प्रतीक्षित थी।

1.11 अन्य बिन्दु

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

वर्ष 2001-2006 तक की अवधि के लिए फरवरी 2000 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने 107 अनुशंसायें मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के निवल कर उत्पाद का निर्धारित हिस्सा स्थानान्तरित किये जाने, उनके संसाधनों में लाइसेंस फीस आदि के माध्यम से वृद्धि करने तथा ई-गवर्नेन्स लागू करने और स्थानीय निकायों आदि के कम्प्यूटरीकरण जैसे मुद्दों पर की थी।

यह देखा गया कि सरकार ने 74 अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से एवं 12 को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा शेष 21 अनुशंसाओं, जो कि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति कर आरोपित किये जाने, भू-राजस्व की दरों का पुनरीक्षण तथा शहरी स्थानीय निकायों की आय में लाइसेन्स मद आदि के द्वारा वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित थी, को स्वीकार नहीं किया।

तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन माह दिसम्बर 2004 में किया गया था। राज्य को प्राप्त निवल कर उत्पाद का एक नियत भाग शहरी स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित करने के प्रकरण में आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय को निवल कर उत्पाद का सात प्रतिशत स्थानान्तरित करने की अनुशंसा की थी।

1.12 निष्कर्ष

इस प्रकार सरकार ने जहां एक तरफ द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर कर राजस्व उत्पाद के नियत अंश को शहरी स्थानीय निकायों को नहीं सौंपा वहीं दूसरी ओर उन्हें उपलब्ध करायी गयी निधियों का कम उपयोग हुआ फलतः भारी मात्रा में धनराशियां अनुपयोगित पड़ी थी जिससे उनके क्षेत्राधिकार में निवास करने वाली जनता मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित रही। वित्तीय आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं थे, क्योंकि न तो डाटाबेस विकसित किया गया था न ही राज्य स्तर पर निधियों के उपयोग का संकलन किया गया था। निर्धारित प्रारूप में लेखाओं के रख रखाव न किये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकायों के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति भी उपलब्ध नहीं की।

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

2. आदर्श नगर योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन तथा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू0आई0डी0एस0एम0टी0) योजनाओं के समरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2008 को आदर्श नगर योजना लागू किया गया। एक लाख से कम आबादी वाली निकायों जिनको यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 योजना से आच्छादित नहीं किया गया था और जो तीन पूर्वापेक्षित शर्तों, अर्थात् 1—शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आय प्राप्त किया था 2— नियमानुसार निर्धारित जल मूल्य का आरोपण किया गया था 3— कम से कम 80 प्रतिशत भवनों को आच्छादित करते हुए गृहकर आरोपित किया गया था तथा गत पांच वर्षों में कराच्छादन की दरों का पुनरीक्षण किया गया था को पूर्ण करती थी, राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा योजनान्तर्गत चयन हेतु विचार करने हेतु पात्र थी। योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को प्रोत्साहित करना तथा अवसंरचना सुविधाओं एवं सार्वजनिक सुख सुविधाओं को विकसित करना था। राज्य सरकार एवं सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय के मध्य निधियों का अंश अनुपात 90:10 था। प्रदेश में योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने ₹ 328.67 करोड़ (2007—11) आवंटित किया था।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये मुख्य बिन्दु निम्नवत थे—

- यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत पहले से आच्छादित तीन शहरी स्थानीय निकायों में से एक लाख से अधिक आबादी वाली एक शहरी स्थानीय निकाय तथा पूर्वापेक्षित शर्तों को पूर्ण न करने वाली 42 शहरी स्थानीय निकायों को योजनान्तर्गत चयनित किया गया था।
- योजनान्तर्गत संस्वीकृत एवं निष्पादित परियोजनाएं जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं थी तथा जिला विकास योजनाओं में एकीकृत नहीं थी।
- शासन एवं चयनित शहरी स्थानीय निकायों के मध्य हस्ताक्षरित करार का ज्ञापन में वर्षवार कार्यान्वित किये जाने वाले सुधारों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था जिसके कारण सुधारों का कार्यान्वयन आंशिक रूप से हुआ।

- वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के बिना ₹ 30 करोड़ की निधियां उत्तर प्रदेश जल निगम के वैयक्तिक लेखा खातों में अनियमित रूप से अन्तरित किया गया था।
- ₹ 1.83 करोड़ की संस्वीकृत परियोजनाएं या तो खराब नियोजन के कारण अथवा भूमि की अनुपलब्धता एवं अन्य कार्यदायी विभागों के मध्य सामंजस्य न होने के कारण निष्पादित नहीं की जा सकी थी।
- परियोजनाओं को प्रस्तावित एवं संस्वीकृत करने में शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ शासन के अवास्तविक दृष्टिकोण के कारण परियोजनाओं की मूल्यांकित लागत, अनुमानित लागत तथा निष्पादन की वास्तविक लागत में वृहत भिन्नता थी।
- नगर पंचायत भरवारी, कौशाम्बी में वित्तीय एवं तकनीकी संस्वीकृति के बिना अनुमानित लागत ₹ 36.74 लाख में तीन नालियों का निर्माण कराया गया था।

2.1 प्रस्तावना

सुधारपरक नियोजित विकास करने तथा एक लाख से कम आबादी वाले, जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनूवल मिशन/अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एवं मीडियम टाउन्स से अनाच्छादित लघु एवं मध्यम नगरों में मूलभूत सार्वजनिक सुविधायें प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों हेतु आदर्श नगर योजना लागू किया (जनवरी 2008)। योजना के अनुमन्य अवयवों में जलापूर्ति, सीवरेंज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पशु वधशालाओं का निर्माण, मार्ग निर्माण एवं मार्ग प्रकाश इत्यादि थे। दिशानिर्देश में गिनाये गये समयबद्ध अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत चयनित शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार के मध्य एक करार का ज्ञापन निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। समिति को सुनिश्चित करना था कि योजना में सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख रखाव हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा अपेक्षित संरचना की व्यवस्था कर ली गयी थी। विचारणीय 578 में से 368 शहरी स्थानीय निकायों में योजना कार्यान्वित की गयी थी। योजना की दिशा निर्देश अपने स्वयं के स्रोत तथा अपनी आय अभिवृद्धि करने की इच्छुक शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन की व्यवस्था करती थी। योजना का मूल उद्देश्य सेवा परिदान तन्त्र की अभिवृद्धि के साथ संरचना सुविधाओं को सुदृढीकरण करना था। प्रदेश में योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने ₹ 328.67 करोड़ आवंटित किया था।

2.2 निधि प्रवाह तन्त्र

परियोजना की लागत राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों के मध्य क्रमशः 90:10 के अनुपात में वहन की जानी थी। अपने अंश का योगदान करने में असमर्थ शहरी स्थानीय निकाय अपने अंश का अधिकतम 50 प्रतिशत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से उपयोग कर सकते थे। व्यय वित्त समिति/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना के मूल्यांकन के उपरान्त राज्य सरकार को अपने अंश का 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त करना था तथा निधियों का अन्तरण राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को करना था जिसे सम्बंधित स्थानीय निकाय के अंश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी निधियां अवमुक्त करेंगी। अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त के 70 प्रतिशत का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी अवशेष 50 प्रतिशत राज्यांश सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त करेगी।

वर्षवार अवमुक्त निधियां निम्नवत थी:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	सरकार द्वारा बजट का आवंटन	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा अवमुक्त धनराशि
1	2007-08	30.00	29.00
2	2008-09	98.18	56.49
3	2009-10	100.00	100.00
4	2010-11	100.49	95.49
योग		328.67	280.98

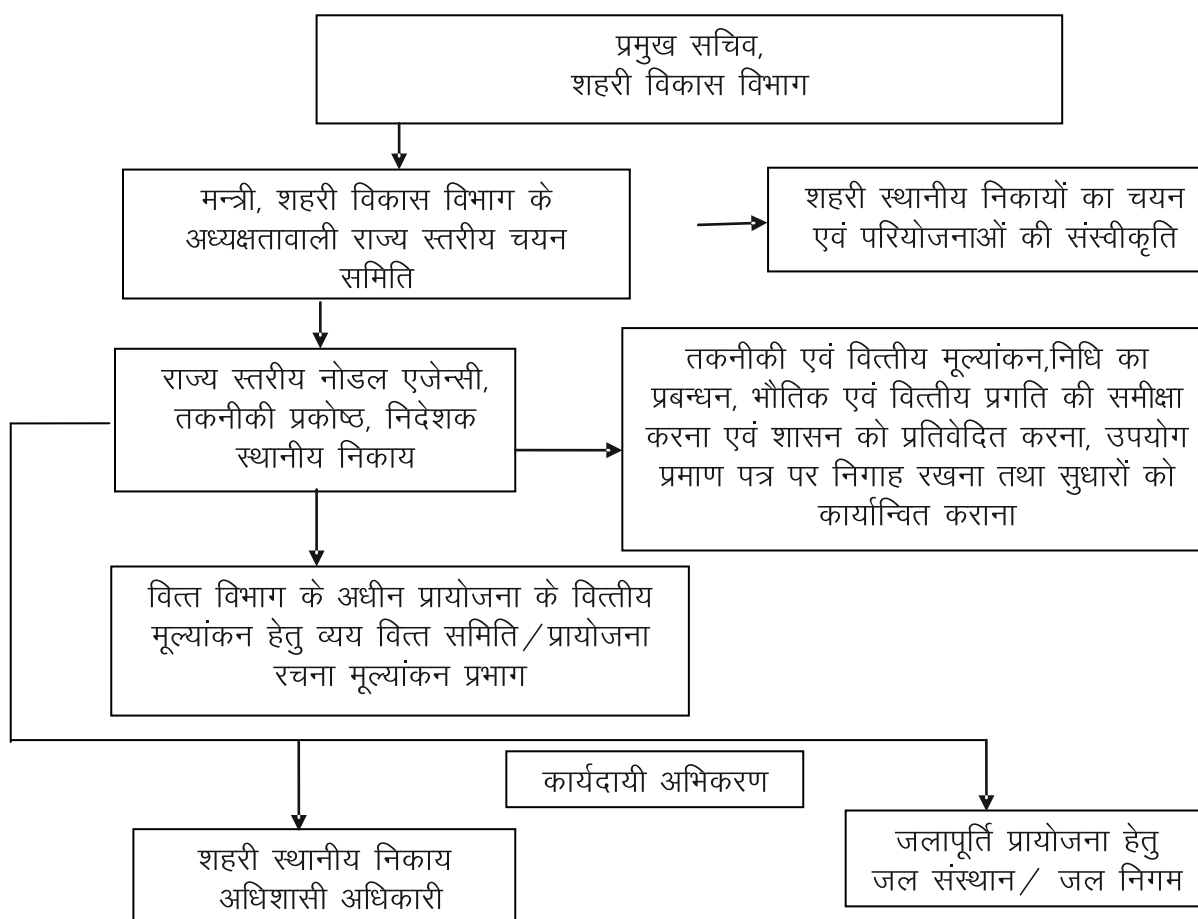
(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय लेखनक)

इस प्रकार सारणी से पता चला कि 2008-09 एवं 2010-11 वर्षों के दौरान राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने शहरी स्थानीय निकायों को बजट आवंटन से कम निधियां अवमुक्त किया जिसके कारण आवंटित निधियों का अनुपयोग तथा योजना का मंदगति से कार्यान्वयन हुआ। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने बताया (अगस्त 2011) कि सम्बंधित शहरी नगर निकायों द्वारा अपना अंश जमा न करने के कारण तथा निर्वाचन हेतु आचार संहिता प्रभावी होने से निधियां समर्पित कर दी गयीं थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों को समय से अंश जमा करने को बाध्य करने का कोई कार्य शासन ने नहीं किया था। इसके अतिरिक्त निधि प्रवाह का दक्षतापूर्ण व्यवस्थापन करना शासन का कर्तव्य था।

2.3 संगठनात्मक ढांचा

शहरी स्थानीय निकायों के चयन, परियोजना की संस्वीकृति, भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण करने के साथ-साथ परियोजना हेतु कार्यदायी अभिकरणों के चयन हेतु शहरी विकास मन्त्री की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय समिति अर्थात् राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया था। तकनीकी प्रकोष्ठ, निदेशक स्थानीय निकाय, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित की गयी थी जो परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन, निधि का प्रबन्ध, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन, निधि की अवमुक्ति के पश्चात् 12 माहों में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण करने तथा प्रमुख सचिव शहरी विकास को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी थी। प्रमुख सचिव ही परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।

संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।



2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने हेतु सम्पन्न की गयी थी क्या :-

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया। प्रायोजना की संस्वीकृति नगरों के एकीकृत एवं नियोजित विकास का सुधार करने तथा नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु थी।
- वित्तीय प्रबन्धन तथा सुधार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार थे।
- संस्वीकृत प्रायोजना का निष्पादन दक्ष, मितव्ययी एवं प्रभावी था।
- अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की गयी थी तथा प्रभावी ढंग से कार्यशील थी।

2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

- आदर्श नगर योजना के दिशा निर्देश।
- वित्तीय नियम व आदेश।
- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916.
- शहरी विकास विभाग एवं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कार्य निष्पादन से सम्बंधित परिपत्र एवं दिशा निर्देश।

2.6 लेखापरीक्षा का विषय क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

- i) राज्य सचिवालय, वित्त विभाग एवं शहरी विकास विभाग
- ii) निदेशक, स्थानीय निकाय/राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी कार्यालय के लेखाभिलेखों की जांच की गयी। वर्ष 2007-11 अवधि के योजना से आच्छादित 368 में से 57 शहरी स्थानीय निकायों⁹ (11 नगर पालिका परिषदों तथा 46 नगर पंचायतों) के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। शहरी स्थानीय निकायों के चयन हेतु 12 जिलों उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार चयनित किये थे। इसके पश्चात उन जिलों में निधि आवंटनके अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया था।

⁹न.पा.प. मुबारकपुर, न.प. महाराजगंज, न.प. बिलरियागंज, न.प. निजामाबाद, न.प. अतरौलिया, न.प. सरायमीर, न.प. जियानपुर, जिला आजमगढ़: न.पा.प. नवाबगंज, न.प. बंकी, न.प. सिद्धौर, न.प. देवा, न.प. हैदरगढ़, न.प. फतेहपुर, न.प. रामनगर, न.प. जैदपुर, न.प. सतरिख, जिला बाराबंकी: न.पा.प. बिन्दकी, जिला फतेहपुर: न.पा.प. शाहाबाद, न.पा.प. पिहानी, न.पा.प. सण्डीला, न.प. बेनीगंज, न.प. गोपामऊ, न.प. बिलग्राम, न.प. माधवगंज, जिला हरदोई: न.प. केराकत, न.प. जफराबाद, न.प. खेतासराय, जिला जौनपुर: न.प. भरवारी, न.प. अजुहा, न.प. करारी, न.प. सिराथू, जिला कौशाम्बी: न.पा.प. कोसीकला, न.प. नन्दगांव, न.प. महावन, न.प. बरसाना, न.प. फराह, न.प. छाता, न.प. बाजना, न.प. राधाकुण्ड, जिला मथुरा: न.प. पट्टी, न.प. अन्तू, न.प. कटरा मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़: न.प. नईबाजार, न.प. घोंसिया, न.प. ज्ञानपुर, न.पा.प. गोपीगंज, जिला सन्त रविदासनगर: न.पा.प. बिसवां, न.पा.प. लहरपुर, न.पा.प. खैराबाद, न.प. सिधौली, न.प. हरगांव, जिला सीतापुर: न.प. ओबरा, न.प. चुर्कडरमा, न.प. पिपरी, न.प. घोरावल, न.प. दुद्धी, जिला सोनभद्र: न.प. कादीपुर, जिला सुल्तानपुर।

2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7.1 दिशा निर्देशों के मानकों के विपरीत शहरी स्थानीय निकायों का चयन

2.7.1.1 योजना के अन्तर्गत एक लाख से कम आबादी वाली शहरी स्थानीय निकायों को चयनित करने का प्रावधान था। निदेशक, स्थानीय निकाय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 1.39 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका परिषद, उरई का चयन योजना के मानकों के विपरीत किया गया था। इंगित किये जाने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने बताया (जनवरी 2012) कि सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से तथा चूंकि शहरी स्थानीय निकाय किसी अन्य योजना से आच्छादित नहीं थी, इस योजनान्तर्गत विचार किया गया था। फिर भी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने शहरी स्थानीय निकायों की अपेक्षित आवश्यकताओं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों का चयन मानकों के विपरीत किया गया था।

2.7.1.2 दिशा निर्देशों में केवल उन्हीं शहरी स्थानीय निकायों के चयन हेतु प्रावधान था जो जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनूवल मिशन एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थे। नगर पालिका परिषद नवाबगंज, बाराबंकी तथा नगर पालिका परिषद, सण्डीला, हरदोई के अभिलेखों की जांच से पता चला कि इस तथ्य के बावजूद कि ये शहरी स्थानीय निकाय यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के अन्तर्गत भी आच्छादित थे इन्होंने योजना से ₹ 1.67 करोड़ प्राप्त किया था। इस प्रकार योजनान्तर्गत इन शहरी स्थानीय निकायों के चयन से अन्य पात्र शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के लाभ से वंचित रह गये। इंगित किये जाने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने बताया (दिसम्बर 2011) जबकि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत विस्तृत प्रायोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थी बची हुई प्रायोजनाएं इस योजना में ली गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत आच्छादित शहरी स्थानीय निकायों का चयन दिशा निर्देशों के मानदण्डों के विपरीत था।

2.7.1.3 दिशा निर्देश में प्रावधान किया गया था कि निम्नवत् योग्यताएं/निष्पादनयुक्त शहरी स्थानीय निकायों को योजनान्तर्गत चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने (1) शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आय प्राप्त किया था (2) वर्ष 1997 में सरकार द्वारा निर्धारित जल मूल्य का आरोपण किया था एवं (3) कम से कम 80 प्रतिशत भवनों को आच्छादित करते हुए गृहकर आरोपित किया था तथा गत पांच वर्षों में कराधान की दरों का पुनरीक्षण किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के उन्नयन एवं उत्साह बढ़ाने का उद्देश्य स्पष्ट था। अभिलेखों की

जांच से पता चला कि योजनान्तर्गत चयन हेतु 42 शहरी स्थानीय निकायों¹⁰ ने एक या अधिक सुधार की पूर्वापेक्षित शर्तों को पूर्ण नहीं किया था। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों के चयन के समय शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की योजना के उद्देश्य की अनदेखी की गयी थी। इंगित किये जाने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने बताया (दिसम्बर 2011) कि अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों का चयन पूर्वापेक्षित शर्तों को पूर्ण किये जाने के पश्चात किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच की गयी 73 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायें पूर्वापेक्षित शर्तों को पूर्ण नहीं करती थी तथा दिशा निर्देश में प्रावधान किये गये चयन मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.7.2 शहरी स्थानीय निकायों एवं परियोजनाओं का अतार्किक चयन

दिशा निर्देश में प्रावधान किया गया था कि शहरी स्थानीय निकायों को योजनान्तर्गत चयन हेतु वरीयता देना था जो प्रस्तर 2.7.1.3 में यथावर्णित तीन पूर्वापेक्षित शर्तों को पूर्ण करती थी। सेटेलाइट डाटा तथा संचार तकनीक से प्रादुर्भूत नक्शे जैसे आधुनिक तरीकों के उपयोग के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की वर्तमान संसाधन एवं आवश्यकताओं को विचार करने का प्रावधान योजना में नहीं किया गया था। इस प्रकार सुनियोजित एकीकृत विकास तथा लघु एवं मध्यम नगरों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु शहरी स्थानीय निकायों के चयन हेतु वरीयता देने के लिए केवल उपर्युक्त पूर्वापेक्षित शर्तों पर विचार करना न्यायोचित नहीं था। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों तथा परियोजनाओं का चयन वैज्ञानिक अध्ययन, आधारभूत वास्तविकताओं तथा वास्तविक अपेक्षाओं पर आधारित नहीं था क्योंकि जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी जिले हेतु महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार एवं अनुरक्षण करने हेतु उत्तरदायी थे। शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान भौतिक एवं मानव संसाधनों तथा आवश्यकताओं से सम्बन्धित आंकड़ों की उपलब्धता के सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को सम्पर्क किया गया किन्तु ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इंगित किये जाने पर शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने स्वीकार किया कि ऐसे कोई आंकड़े तैयार नहीं किये गये और इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों में योजना के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु आंकड़ों के उपयोग का प्रश्न ही नहीं होता।

¹⁰न.पा.प. मुबारकपुर, न.पा. निजामाबाद, न.पा. अतरौलिया, न.पा. सरायमीर, जिला आजमगढ़: न.पा.प. नवाबगंज, न.पा. हैदरगढ़, न.पा. फतेहपुर, न.पा. रामनगर, जिला बाराबंकी: न.पा.प. बिन्दकी, जिला फतेहपुर: न.पा.प. पिहानी, न.पा.प. सण्डीला, न.पा. गोपामऊ, न.पा. बिलग्राम, न.पा. माधवगंज, जिला हरदोई: न.पा. केराकत, न.पा. जफराबाद, न.पा. खेतासराय, जिला जौनपुर: न.पा. भरवारी, न.पा. अजुहा, न.पा. सिराथू, जिला कौशाम्बी: न.पा.प. कोसीकला, न.पा. नन्दगांव, न.पा. बरसाना, न.पा. फराह, न.पा. छाता, न.पा. बाजना, न.पा. राधाकुण्ड, जिला मथुरा: न.पा. अन्तू, न.पा. कटरा मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़: न.पा. नईबाजार, न.पा. घोसिया, न.पा. ज्ञानपुर, न.पा.प. गोपीगंज, जिला सन्त रविदासनगर: न.पा.प. बिसवां, न.पा.प. लहरपुर, न.पा.प. खैराबाद, न.पा. हरगांव, जिला सीतापुर: न.पा. ओबरा, न.पा. चुर्कडरमा, न.पा. पिपरी, न.पा. घोरावल, न.पा. दुद्धी, जिला सोनभद्र।

2.7.3 परियोजना की अनुचित संस्वीकृति

2.7.3.1 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शासन को परियोजनायें प्रस्तुत करने का प्रावधान था। नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवरेज, पेय जलापूर्ति इत्यादि परियोजनाओं की आवश्यकता थी, राज्य स्तरीय चयन समिति ने योजना की प्रथम किस्त से मार्ग, पेयजल सुविधायें एवं सड़क प्रकाश हेतु परियोजनाओं की संस्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया (मार्च 2008)। अतः नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में केवल मार्गों, नालियों के निर्माण व सड़क, प्रकाश तथा पेय जलापूर्ति हेतु परियोजनायें प्रस्तुत किया। इस प्रकार परियोजनाओं की संस्वीकृति के समय, शहरी स्थानीय निकायों में उनकी आवश्यकताओं तथा नियोजन के अनुसार संसाधन सुविधायें एवं नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना के उद्देश्य की अनदेखी की गयी। शहरी स्थानीय निकायों में नालियों और सड़क प्रकाश तथा पेयजल सुविधा इत्यादि से भिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता थी जिन्हें संस्वीकृत नहीं किया गया था, विवरण निम्नवत् था :-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित प्रायोजना में							राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृत मार्ग / नाली
		मार्ग / नालियां	प्रकाश	ठोस अपशिष्ट	जलापूर्ति	सीवरेज	पार्क	योग	
1	न0प0 केराकत, जौनपुर	229.61	10.00	00	202.50	00	00	442.11	112.83
2	न0पा0प0 कोसीकला, मथुरा	552.88	25.00	20.00	285.00	650.00	25.00	1557.88	55.88
3.	न0प0 अझुवा, कौशाम्बी	62.70	25.81	00	00	00	00	88.51	56.10
4	न0प0 बरसाना, मथुरा	286.42	30.09	15.78	00	00	00	332.29	113.54
5	न0पं0 नंदगांव, मथुरा	252.51	52.00	18.18	14.63	00	00	337.32	116.38
6	न0प0 फराह, मथुरा	75.00	101.00	6.00	180.00	00	00	362.00	92.11
7	न0पा0प0 शाहाबाद, हरदोई	1007. 91	547.08	00	00	00	00	1554.99	99.61
8	न0पं0 सिराथू, कौशाम्बी	173.88	139.05	00	00	00	00	312.93	55.49
9	न0पं0 हैदरगढ़, बाराबंकी	133.96	70.00	00	00	00	00	203.96	113.74
10	न0पं0 अन्तू, प्रतापगढ़	00	26.13	00	00	00	00	26.13	27.78
योग		2774.87	1026.16	59.96	682.13	650.00	25.00	5218.12	843.46

इस प्रकार नमूना जांच की गयी 57 में से 10 शहरी स्थानीय निकायों से पता चला कि मार्गों/नालियों के निर्माण हेतु परियोजनाएं संस्वीकृत की गयी थी, अन्य नागरिक सुविधायें एवं अवसंरचना सुविधाएं संस्वीकृत नहीं की गयी थी। अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि नगर पंचायत अन्तू प्रतापगढ़ द्वारा सड़क प्रकाश हेतु ₹ 26.13 लाख की केवल एक परियोजना प्रस्तुत किया गया जिसे संस्वीकृत नहीं किया गया इसके बावजूद अनिर्दिष्ट मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 27.78 लाख स्वीकृत किये गये थे। इस प्रकार, यह संस्वीकृति शहरी स्थानीय निकाय की पिपाशा के विपरीत थी। इंगित किये जाने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011) कि शहरी स्थानीय निकायों के प्रस्तावों के अनुरूप परियोजनायें संस्वीकृत की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को उपेक्षा करके केवल मार्गों/नालियों की परियोजनायें ही संस्वीकृत की गयी थी। अतः राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा परियोजनाओं की संस्वीकृति में नियोजन के आधारभूत उद्देश्य की अनदेखी की गयी थी।

2.7.3.2 नमूना जांच की गयी सभी शहरी स्थानीय निकायों ने मार्गों एवं नालियों के निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं को निष्पादित किया था किन्तु किसी ने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवरेज, वधशालाओं का निर्माण व रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सम्बन्धित परियोजनाओं का निष्पादन नहीं किया था जो समान रूप से गुणवत्ता पूर्ण नागरिक जीवन, पर्यावरण संरक्षण एवं भूमि जलस्तर के अनुरक्षण हेतु महत्वपूर्ण थी।

2.7.3.3 नगर पंचायत कादीपुर, सुल्तानपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ₹ 5.61 करोड़ की परियोजना प्रस्तुत की गई थी। जिसमें सीवरेज (₹ 56.38 लाख), ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (₹ 20.70 लाख), नाला निर्माण (₹ 248.82 लाख), सड़क प्रकाश (₹ 31.52 लाख), मार्ग कार्य (₹ 89.52 लाख), कम्युनिटी सेन्टर (₹ 79.52 लाख), रेन वाटर हार्वेस्टिंग व तालाब (₹ 14.50 लाख), तथा सनग्लो वेलकम बोर्ड का निर्माण (₹ 19.80 लाख) थे। जिसके विपरीत मार्गों, कम्युनिटी सेन्टर, सड़क प्रकाश हेतु केवल ₹ 1.12 करोड़ की परियोजनायें संस्वीकृत की गयी थी और शासन द्वारा दो किस्तों में राज्यांश का ₹ 100.00 लाख संस्वीकृत किया गया था। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शासन द्वारा स्वतः उपेक्षा की गयी तथा केवल सामान्य परियोजनायें ही संस्वीकृत की गयी।

इंगित किये जाने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011) कि योजना की दिशा निर्देश के अनुसार परियोजनाओं के प्रस्ताव मंगाये गये थे तथा अनुभूत की गयी स्थानीय आवश्यकताओं की प्राथमिकता पर आधारित परियोजनाओं के प्रस्तावों को

तैयार करने हेतु पृथक् रूप से कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया था। दिशा निर्देशों में विषय का अभाव है अतः यह स्पष्ट है कि न तो शासन द्वारा और न ही शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया गया।

2.7.4 जिला नियोजन समिति के अनुमोदन के बिना संस्वीकृत परियोजनायें

संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में शहरी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए जिले की समस्त स्थानीय निकायों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को एकीकृत करते हुए प्रत्येक जिले में हितधारी एकीकृत जिला विकास नियोजन को तैयार करने एवं अनुमोदन करने हेतु जिला नियोजन समिति के गठन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य जिले की सन्तुलित एवं एकीकृत विकास को सुनिश्चित करना तथा परियोजनाओं में पुनरावृत्ति एवं अतिव्याप्ति को रोका जा सके। दिशानिर्देश में जिला नियोजन समिति द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु न तो कोई प्रावधान है न ही संविधान में निहित उपबन्धों को मानने हेतु शासन द्वारा कोई निर्देश निर्गत किया गया। फलस्वरूप, संस्वीकृत परियोजनाओं में पुनरावृत्ति थी तथा राज्य समेकित निधि से उसी परियोजना हेतु दो बार निधियाँ अवमुक्त की गयी थी। अग्रेतर, ऐसी निधियाँ या तो सरकार को समर्पित की गयी थी या शहरी स्थानीय निकायों के पास बेकार अवरुद्ध पड़ी थी, जैसा कि नीचे वर्णित है :-

- (i) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने बाथिंग पाण्ड एवं परिक्रमा मार्ग के निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद राधाकुण्ड, मथुरा को ₹ 46.31 लाख व्यय हेतु अवमुक्त किया (दिसम्बर 2009)। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मथुरा द्वारा पूर्व में ही निष्पादित कराया गया था, फलस्वरूप अवमुक्त धनराशि सरकार को समर्पित कर दिया गया (जनवरी 2011)।
- (ii) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने देवा मुख्य मार्ग से गोदाम तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली के निर्माण हेतु नगर पंचायत बंकी, बाराबंकी को ₹ 19.57 लाख अवमुक्त किया (जनवरी 2010) किन्तु कार्य पहले ही उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा निष्पादित कराया गया था तथा निधि के ₹ 8.00 लाख सरकार को आंशिक रूप से समर्पण (जून 2010) के पश्चात् निधि अभी तक अधिशासी अधिकारी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2011)।

2.7.5 उचित स्थल निरीक्षण के बिना प्रस्तावित परियोजनायें

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं निधियों के अवमुक्त होने से पूर्व भारमुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। भूमि की उपलब्धता एवं परियोजना की उपयुक्तता का विनिश्चय सर्वेक्षण के द्वारा की जानी चाहिए। नमूना जांच की गयी 57 में से 36 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था जबकि 21 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कहा गया कि केवल निरीक्षण किया गया था। परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व स्थल का सम्यक सर्वेक्षण करने हेतु प्रावधान दिशा निर्देश में नहीं था न ही शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्देश निर्गत किया गया था। फिर भी, शासन ने कहा (दिसम्बर 2011) कि स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण किया गया था तथा अनुदान संस्वीकृति के समय इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किया गया था। इस प्रकार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न तो प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से सर्वेक्षण हेतु निर्देशित किया गया था न ही शहरी स्थानीय निकायें इस दिशा में सचेत थी जिसके कारण निधियाँ निम्नवत् समर्पित/अवरुद्ध हुयी:-

2.7.5.1 नगर पंचायत बाजना, मथुरा के अभिलेखों की जांच में पता चला कि बाजना बस स्टैण्ड से सीड स्टोर तक 270 मी० लम्बी इण्टरलाकिंग मार्ग के निर्माण हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने ₹ 2.65 लाख रुपये अवमुक्त किया (सितम्बर 2008) जिसका निर्माण नहीं कराया गया था क्योंकि निर्दिष्ट भूमि विवादग्रस्त थी तथा नगर पंचायत ने धनराशि शासन को समर्पित कर दिया था (अगस्त 2010)।

2.7.5.2 नगर पालिका परिषद गोपीगंज, सन्त रविदास नगर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज से माता प्रसाद के घर तक अनुमानित लागत के अनुसार पेन्टेड रोड व नाली निर्माण हेतु ₹ 3.41 लाख अवमुक्त किया गया था (अप्रैल 2010)। कार्य निष्पादित नहीं कराया गया क्योंकि निर्दिष्ट भूमि विवादग्रस्त थी। इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने स्वीकार किया तथा कहा (नवम्बर 2011) कि विवाद के समाधान होने के पश्चात् कार्य निष्पादित कराया जाएगा। इस प्रकार, भारमुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निधियों की अवमुक्ति के कारण ₹ 3.41 लाख अवरुद्ध रहे।

2.7.5.3 नगर पंचायत कटरामेदनीगंज, प्रतापगढ़ के अभिलेखों की जांच में पता चला कि (1) वार्ड सं० 2 में मो० इरशाद से गिरधारीगंज तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 10.41 लाख) एवं (2) रामनाथ के घर से लखनऊ-वाराणसी मार्ग तक नाला का निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 11.26 लाख) हेतु ₹ 21.67 लाख अवमुक्त किये गये

थे (अगस्त 2010)। कार्य निष्पादित नहीं कराये गये थे। इंगित किये जाने पर, अधिशासी अधिकारी ने तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2011)। इस प्रकार, भारमुक्त भूमि के हस्तान्तरण को सुनिश्चित किये बिना भू-धारक के आश्वासन के आधार पर वित्तीय परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था जिससे ₹ 21.67 लाख अवरुद्ध थे।

2.7.6 शहरी स्थानीय निकायों के विस्तार पर विचार किये बिना परियोजना की संस्वीकृति

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 से अनाच्छादित शहरी स्थानीय निकायों में योजना के अन्तर्गत अवसंरचना सुविधाओं एवं नागरिक सुविधाओं हेतु दिशा निर्देश में प्रावधान किया गया था तथा राज्य स्तरीय चयन समिति को उन शहरी स्थानीय निकायों को प्राथमिकता देनी थी जिन्होंने तीन पूर्वापेक्षित शर्तों को पूर्ण किया था। निदेशक, स्थानीय निकाय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य स्तरीय चयन समिति ने परियोजनाएं संस्वीकृत किया था तथा नमूना जांच की गयी 57 में से 56 शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 55.56 लाख की समान किस्तें क्षेत्र, जनसंख्या, स्थानीय अनुभूत की गयी आवश्यकताओं एवं पूर्वापेक्षित शर्तों पर विचार किये बिना अवमुक्त किया। इस प्रकार राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा दिशा निर्देश में उपबन्धित शहरी स्थानीय निकायों में किसी प्राथमिकता को निर्णीत नहीं किया गया।

2.7.7 राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन के बिना परियोजनाओं की संस्वीकृति

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृति के पूर्व परियोजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (तकनीकी प्रकोष्ठ, निदेशक स्थानीय निकाय) द्वारा किये जाने की व्यवस्था दिशा निर्देश में थी। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के बिना विभिन्न विशिष्टियों से युक्त सीमेंट कान्क्रीट एवं पेवर ब्लाक इण्टरलाकिंग रोड, इण्टरलाकिंग रोड के निर्माण हेतु परियोजनायें संस्वीकृत की गयी थी। नमूना जांच की गयी 57 में से 11 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि छः शहरी स्थानीय निकायें हल्की सीमेंट कान्क्रीट बेसकोट के साथ सीमेंट कान्क्रीट शेड का निर्माण करायी जबकि पांच शहरी स्थानीय निकायें अधिक सीमेंट प्रयोग करके अपेक्षाकृत अत्यधिक सुदृढ़ सीमेंट कान्क्रीट सहित बेसकोट निष्पादित करायी। इस प्रकार 11 में से 10 शहरी स्थानीय निकायें औसत मजबूती के साथ टापकोट सीमेंट कान्क्रीट निष्पादित करायी थी तथा बची हुई एक ने अधिक सीमेंट का प्रयोग करके गिट्टी, सीमेंट एवं बालू के अपेक्षाकृत अधिक मजबूत मिलावट के साथ टापकोट सीमेंट कान्क्रीट का निष्पादन करायी

थी। अग्रेतर, जांच से पता चला कि नमूना जांच की गयी 57 में से 45 शहरी स्थानीय निकायों ने पेवर ब्लॉक इण्टरलाकिंग का निर्माण कराया तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स बिछाने हेतु विभिन्न विशिष्टियों (विभिन्न शक्ति की सी0सी0 एवं वाटर बाउन्ड मैकडेम) का निष्पादन किया था। इंगित किये जाने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने कहा (जनवरी 2012) कि प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग केवल वित्तीय मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी था जबकि इसे राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृति से पूर्व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी तकनीकी जांच एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी था जैसा कि दिशानिर्देश में प्रावधान था। इस प्रकार विशिष्टियों में इस विभिन्नता के कारण या तो परिहार्य व्यय या अधोमानक कार्य हुये (परिशिष्ट-2.1)।

2.7.8 परियोजनाओं की संस्वीकृति में समन्वय का अभाव

प्राक्कलन के विवरणों, सामग्री के बिल, दरों का विश्लेषण आदि समाविष्ट करते हुए परियोजना प्रस्ताव संस्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रेषित किया जाना था। योजना की दिशा निर्देश में प्रावधान था कि प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के द्वारा परियोजनाओं के वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात् ही संस्वीकृत धनराशि अवमुक्त किया जाना था। शहरी स्थानीय निकायों को उन मात्रा एवं लागत से सम्बन्धित विवरणों को जिसमें प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्य एवं मात्रा कम कर दिया गया था, को अवगत कराना सम्बन्धित प्राधिकारियों का कर्तव्य था।

निदेशक, स्थानीय निकाय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात् संस्वीकृत परियोजनाओं की लागत कम किया गया था तथा सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों को सुसंगत विवरणों को अवगत कराये बिना राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने तदनुसार राज्यांश को अवमुक्त कर दिया था। इस प्रकार प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का वित्तीय मूल्यांकन निष्प्रभावी था तथा वित्तीय मूल्यांकन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (जनवरी 2012) कि लागत में परिवर्तन के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय मूल्यांकन का प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ।

2.7.9 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की अनदेखी करना

निदेशक स्थानीय निकाय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों हेतु परियोजनाओं की संस्वीकृति के समय राज्य स्तरीय चयन

समिति ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की अनदेखी किया जिसके कारण शहरी स्थानीय निकायों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अर्द्धप्राणिक प्रयास रहा। नगर पालिका परिषद शाहाबाद, हरदोई ने मार्गों/नालियों (₹ 10.08 करोड़) एवं प्रकाश (₹ 5.47 करोड़) को सम्मिलित करते हुए ₹ 15.55 करोड़ धनराशि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तथा प्रकाश से भिन्न केवल ₹ 94.10 लाख की परियोजना संस्वीकृत की गयी थी। ऐसी ही प्रथा अधिकतर प्रकरणों में अपनायी गयी थी। परिणामस्वरूप ऐसी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से परियोजनायें संस्वीकृत करते समय राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की अनुभूत की गयी स्थानीय परम आवश्यकताएं दर किनार कर दी गयी। शासन के पक्ष में यह सुविधाजनक होता कि शहरी स्थानीय निकायों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निधि सीमा के अन्दर तैयार करने को कहा जाता (परिशिष्ट 2.2)।

2.7.10 शासन के आदेशों के उल्लंघन में इण्टरलाकिंग मार्गों की संस्वीकृति

शहरी क्षेत्रों में सी0सी0 मार्गों के निर्माण को प्रतिबन्धित करने हेतु इस आधार पर कि अधिक चौड़ाई में इण्टरलाकिंग मार्गों का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक खर्चीला एवं कम स्थाई होता है क्योंकि ये भारी वाहनों के यातायात को आकर्षित करती है, अपने इस पूर्व आदेश का अतिक्रमण करते हुए 1.5 मी0 चौड़ाई तक के मार्गों को पेवरब्लाक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा निर्मित कराने तथा 1.5 मी0 चौड़ाई से अधिक के मार्गों को सीमेन्ट कान्क्रीट या मैक्सफाल्ट द्वारा पेन्टिंग करके निर्मित कराने का निर्देश शहरी विकास विभाग ने दिया था (जून 2009)।

निदेशक, स्थानीय निकाय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में राज्य स्तरीय चयन समिति ने पेवर ब्लाक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा ₹ 12.75 करोड़ रुपये के मार्गों के निर्माण हेतु संस्वीकृत किया था। इससे यह स्पष्ट है कि स्वयं के आदेशों का उल्लंघन करके संस्वीकृति से अपेक्षाकृत अधिकांशतः कम स्थायी मार्गों का निर्माण होगा। इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (जनवरी 2012) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलनों के मूल्यांकन पश्चात् और निर्दिष्ट समय के अन्दर कार्य को पूर्ण करने की शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए परियोजनायें संस्वीकृत की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा प्राक्कलनों का तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस प्रकार 1.5 मी0 से अधिक चौड़े पेवर ब्लाक इण्टरलाकिंग मार्गों के निर्माण पर ₹ 12.75 करोड़ का व्यय वहन किया गया जो अपेक्षाकृत कम स्थायी थी।

2.7.11 अनुबन्ध के ज्ञापन में संदिग्धता :

दिशा निर्देशों में प्रावधान था कि योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाली शहरी स्थानीय निकायें समयबद्ध अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों को लागू करेंगी जिसके लिए शासन एवं शहरी स्थानीय निकायों के मध्य एक करार निष्पादित होना चाहिए था। शहरी स्थानीय निकायों को योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने से तीन वर्षों के अन्दर वैकल्पिक छः सुधारों, अर्थात् प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सुधारों को लागू करना था।

शासन ने चयन की गयी शहरी स्थानीय निकायों के साथ एक विशेष वर्ष में कुल छः में से दो वैकल्पिक सुधारों को लागू करने को निर्दिष्ट किये बिना अनुबन्ध ज्ञापन निष्पादित किया। नमूना जांच की गयी 57 में से 54 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना आरम्भ होने के तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् छः शहरी स्थानीय निकायों ने कोई भी सुधार लागू नहीं किया था, नौ ने केवल एक, 15 ने दो, 12 ने तीन, सात ने चार तथा पांच शहरी स्थानीय निकायों ने पांच सुधारों को लागू किया था।

यह भी संज्ञान में आया कि द्वितीय किस्त अवमुक्त करते समय शासन तत्पर नहीं था तथा सुधारों को लागू करने का दबाव नहीं बनाया था। इस प्रकार, शासन ने न तो सुधारों को लागू करने का अनुश्रवण किया न ही इसे शहरी स्थानीय निकाय को निधि अवमुक्ति से सम्बद्ध किया था। शहरी स्थानीय निकायें स्वयं इस दिशा में गम्भीर नहीं थी तथा वे अपने उत्तर (सितम्बर-नवम्बर 2011) में सुधारों को लागू न करने की पुष्टि किया था। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में सुधार अभिप्रेत विकास का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया।

2.8 निधि प्रवाह :

2.8.1 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके निधियों की अवमुक्ति :

दिशा निर्देशों में प्रावधान था कि परियोजना की मूल्यांकित लागत का केवल 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त किया जाना था तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंश को सम्मिलित करते हुए प्रथम किस्त के 70 प्रतिशत का उपयोग होने के पश्चात् राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा द्वितीय किस्त अवमुक्त करना था।

राज्य स्तरीय चयन समिति के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2008-11 के दौरान शासन ने विभिन्न किस्तों के माध्यम से संस्वीकृत एवं मूल्यांकित परियोजना लागत के अपने कमोवेश शतप्रतिशत अंश शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया। इस प्रकार शासन अपने अंश का शतप्रतिशत अवमुक्त करते समय परियोजनाओं के निष्पादन तथा सुधारों के कार्यान्वयन का दक्षतापूर्ण अनुश्रवण नहीं किया था। इंगित किये जाने पर शासन

ने बताया (जनवरी 2012) कि शासन ने अपने अंश की अवमुक्ति परियोजना की संस्वीकृत लागत के अनुसार किया था जो कि सकल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लागत की प्रथम किस्त के 70 प्रतिशत से कम या समान थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुश्रवण के बिना संस्वीकृत एवं मूल्यांकित लागत का सम्पूर्ण राज्यांश शहरी स्थानीय निकाय को पुनः अवमुक्त किया गया था। अस्तु, अनुश्रवण को निधि अवमुक्ति से सम्बद्ध नहीं किया गया था। (परिशिष्ट 2.3)।

2.8.2 बैंक बचत खाता प्रचालन के निर्देशों का अभाव :

2.8.2.1 दिशा निर्देशों में प्रावधान था कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी निधियों को रखने हेतु शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक लेखा प्रचालन करना अपेक्षित था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि तीन शहरी स्थानीय निकायों¹¹ ने चालू खाता जबकि अन्य ने बैंक में बचत खाता प्रचालन की थी। इस प्रकार बैंक बचत खाता या चालू प्रचालन खाता हेतु स्पष्ट निर्देश की अनुपस्थिति में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधि रखने पर ब्याज अर्जित नहीं कर सकी थी।

2.8.2.2 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अर्जित ब्याज के उपयोग हेतु न तो दिशा निर्देशों में कोई उपबन्ध दिया गया था, न ही शासन ने निर्देश निर्गत किया था। इसके कारण ब्याज के रूप में अर्जित धनराशि का विचलन अथवा अवरोधन हुआ।

2.8.2.2 (1) नगर पंचायत पट्टी, प्रतापगढ़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों पर ₹ 0.61 लाख अर्जित बैंक ब्याज योजनान्तर्गत प्राप्त द्वितीय किस्त (जनवरी 2011) के लिए शहरी स्थानीय निकाय के अंश के रूप में जमा किया गया यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान इसने स्वयं के संसाधनों से ₹ 12.17 लाख अर्जित किया था। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत शासन से प्राप्त निधियों पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 0.61 लाख की धनराशि शहरी स्थानीय निकाय ने विचलित कर दिया था। इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2011) कि इससे राज्य वित्त आयोग अनुदान से समायोजित किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना लागत के अपने अंश देने को इसके पास पर्याप्त निधि उपलब्ध थी।

2.8.3 शहरी स्थानीय निकाय अंश का विलम्ब से जमा करना तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निधियों की विलम्बित अवमुक्ति :

प्रथम किस्त की अवमुक्ति के पश्चात् शासन ने निर्देश दिया (मार्च 2011) कि राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को परियोजनाओं की संस्वीकृति के सात दिनों के अन्दर शहरी स्थानीय

¹¹ न.पा.प. गोपीगंज, न.प. ज्ञानपुर जिला सन्त रविदासनगर एवं न.प. राधाकुण्ड, जिला मथुरा।

निकायों के अंश जमा करने के पश्चात् राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों को 15 दिनों के अन्दर निधि की अवमुक्ति सुनिश्चित करना था। शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रथम किस्त के प्रकरण में राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निधियों के अवमुक्त करने में 02 से 75 दिनों के मध्य विलम्ब किया गया जबकि शहरी स्थानीय निकाय अंश जमा करने में भी असमान्य विलम्ब हुआ था जो कि 04 से 870 दिनों के मध्य था। विलम्ब अंशतः शहरी स्थानीय निकाय अंश देर से जमा होने के कारण तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निधियों के विलम्बित अवमुक्त के कारण था। इसके कारण अभिप्रेत हितधारियों को अवसंचरना सुविधाओं का अक्रूर विलम्ब से हुआ (परिशिष्ट 2.4)।

2.8.4 जल निगम के वैयक्तिक लेखा खाता में निधियों का अनियमित अन्तरण :

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के अभिलेखों की जांच में पता चला कि उ०प्र० जल निगम के वैयक्तिक लेखाखाता में राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा जमा किये गये ₹ 30.00 करोड़ में से ट्रेजरी बिल दिनांक 31 मार्च, 2008 के माध्यम से सरकारी लेखे से आहरित ₹ 29.00 करोड़, 77 शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया गया (जून-नवम्बर 2008)। सरकारी धन की इस यात्रा के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पृच्छा किये जाने पर शासन ने बताया (जनवरी 2012) कि शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2008 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय की सहमति पर निधियाँ जल निगम के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की गयी थी क्योंकि योजना के आरम्भ होने की तिथि (जनवरी 2008) से वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्तिम दो माहों की कम अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को निधियां संस्वीकृत करना संभव नहीं था। अतः दिशा निर्देशों के उपबन्धों का उल्लंघन करके राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा परियोजनाओं की संस्वीकृति के बिना राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण किया। शासन ने बताया (जनवरी 2012) कि विशेष सचिव, शहरी विकास विभाग तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल के माध्यम से निधियां उ०प्र० जल निगम के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की गयी थी जिन्हें सरकारी लेखे से आहरण के तीन माह पश्चात् उपयोग कर लिया गया था।

2.9 निष्पादन

नमूना जांच की गयी 57 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2007-11 के दौरान ₹ 52.66 करोड़ लागत की परियोजनायें यथा मार्गों/नालियों ₹ 50.61 करोड़, प्रकाश ₹ 0.80 करोड़, ठोस अपशिष्ट ₹ 0.59 करोड़, जलापूर्ति ₹ 0.42 करोड़ व कम्यूनिटी सेन्टर ₹ 0.24 करोड़, राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा

संस्वीकृत किया गया। उपर्युक्त से यह स्पष्ट था कि योजनान्तर्गत 10 अनुमन्य अवयवों में से मार्गों/नालियों की परियोजनाएँ संस्वीकृत करने की राज्य स्तरीय चयन समिति प्रतिबद्ध थी। (परिशिष्ट 2.5)

2.9.1 परियोजनाओं के निष्पादन में भिन्नताएँ –

नगर पालिका परिषद कोसीकला, मथुरा तथा नगर पंचायत देवा, बाराबंकी के अभिलेखों की जांच में पता चला कि प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के मूल्यांकित लागत के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा परियोजनाएँ संस्वीकृति के पश्चात् शहरी स्थानीय निकायों ने प्राक्कलन तैयार किया था। प्राक्कलित लागत मूल्यांकित लागत से परिवर्तित थी तथा मूल्यांकित लागत के विरुद्ध निष्पादन की लागत में भारी अन्तर था जैसा नीचे वर्णित है—

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	कार्य का नाम	राज्य स्तरीय चयन समिति के चयन के उपरान्त शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की गयी प्राक्कलन लागत	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा मूल्यांकित/संस्वीकृत लागत	वहन किया गया वास्तविक व्यय	मूल्यांकित लागत से भिन्नता का प्रतिशत
1.	न0पा0प0 कोसीकला, मथुरा	होलीगेट से शेरसिंह मास्टर तक मार्ग की मरम्मत	10.72	10.59	7.48	(-) 30
2.	न0पं0 देवा, बाराबंकी	हामिद के मकान से बरी तक नाली का निर्माण	7.01	6.95	1.90	(-) 73
3.	न0पं0 देवा, बाराबंकी	कटरा वार्ड में लालता के मकान के पास पुलिया का निर्माण	2.34	2.31	11.34	(+) 391
4.	न0पं0 देवा, बाराबंकी	साबू तालाब से धरा तालाब तक पुलिया एवं नाली का निर्माण	11.50	9.44	13.39	(+) 42
5.	न0पं0 देवा, बाराबंकी	राजेन्द्र की दुकान से धारा तालाब पुलिया तक नाली का निर्माण	12.30	5.84	10.28	(+) 76
6.	न0पं0 देवा, बाराबंकी	अजहर विद्यालय से छेदी माली के बगीचा तक नाली एवं इण्टर लाकिंग का निर्माण	1.54	3.03	1.84	(-) 39

1. मूल्यांकित लागत के सापेक्ष निष्पादन लागत में भिन्नता (-) 73 प्रतिशत से (+) 391 प्रतिशत शासन स्तर पर परियोजना के मूल्यांकन एवं संस्वीकृति का वास्तविक होना दर्शाता है।
2. नगर पंचायत देवा बाराबंकी, के कटरा वार्ड में लालता के मकान के पास मूल्यांकित लागत ₹ 2.31 लाख के विरुद्ध ₹ 11.34 लाख की पुलिया का निर्माण किया गया इस प्रकार मूल्यांकित/संस्वीकृत लागत कार्य के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी।

3. भिन्नतायें राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा न तो अनुसमर्थित थी और न ही शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अवशेष धनराशि की मांग की गयी थी। इस प्रकार, राज्य स्तरीय चयन समिति ने शहरी क्षेत्रों के एकीकृत विकास का उत्थान करने के बजाय संस्वीकृत परियोजनाओं की लागत की केवल प्रतिपूर्ति किया।
4. मूल्यांकित लागत, प्राक्कलित लागत एवं वास्तविक लागत में भारी भिन्नतायें शहरी स्थानीय निकाय निकायों के साथ-साथ शासन की अवास्तविक पहुँच दर्शाता है प्राक्कलित लागत एवं निष्पादन की वास्तविक लागत के मध्य भिन्नताओं से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण एवं स्थल के वास्तविक निर्धारण के बिना प्राक्कलन तैयार किये गये जबकि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के बिना मूल्यांकित/ संस्वीकृत लागत के सापेक्ष निष्पादन लागत में भिन्नताओं से शासन स्तर पर वित्तीय कुप्रबन्धन दृष्टिगोचर होता है। इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया कि स्थल सर्वेक्षण नहीं किया गया था जबकि भिन्नताओं हेतु मूल्य वृद्धि एक कारक था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मूल्य वृद्धि के कारण, केवल निष्पादन लागत में अभिवृद्धि होगी जबकि मूल्यांकित लागत के विपरीत निष्पादन लागत में कमी होने के उदाहरण हैं।

2.9.2 पेवर ब्लाक इण्टरलाकिंग रोड में परिहार्य व्यय

इण्टरलाकिंग रोड निर्माण के पूर्व इण्डियन रोड काँग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार डब्लू0बी0एम0/डब्लू0एम0एम0 या लीन कंक्रीट बेस दिया जा सकता है। नगर पालिका परिषद नवाबगंज, बाराबंकी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना में पेवर ब्लाक इण्टरलाकिंग रोड के चार कार्य¹² का प्राक्कलन (प्राक्कलित लागत ₹ 55.07 लाख) संस्वीकृत किया गया था। आई0आर0सी0 विशिष्टियों के उल्लंघन में अन्य बातों के साथ-साथ लीन कंक्रीट बेस के अतिरिक्त किनारे पर ब्रिक सोलिंग में जले खड़ंजा लगाया जाना प्राक्कलन में सम्मिलित था। तदनुसार कार्य का निष्पादन किया गया तथा ब्रिक सोलिंग में ₹ 4.56 लाख भुगतान किये गये। अतः ब्रिक सोलिंग में वहन किया गया व्यय परिहार्य था। इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2011) कि स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य निष्पादित कराया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आई0आर0सी0 विशिष्टियों के उल्लंघन में कार्य का निष्पादन कराया गया था।

¹²(1) मोहल्ला भीतरी पश्चिमी में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 9.10 लाख।

(2) मोहल्ला ग्रीदगंज, गांधीनगर में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 18.94 लाख।

(3) मोहल्ला भीतरी पीर बटावन में इण्टर लाकिंग रोड का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 6.48 लाख।

(4) तहसील कालोनी वार्ड में पी.डब्लू.डी. गेस्ट हाउस के सामने मस्जिद के पास इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 20.55 लाख।

2.9.3 संस्वीकृत परियोजना से भिन्न कार्य का निष्पादन

2.9.3(1) अनधिकृत परियोजनाओं पर व्यय

नगर पंचायत भरवारी, कौशाम्बी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली नालियों के निर्माण हेतु कुल मूल्यांकित लागत ₹ 56.91 लाख की पाँच परियोजनाओं¹³ को राज्य स्तरीय चयन समिति ने संस्वीकृत किया (नवम्बर 2008)। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने ₹ 55.56 लाख अवमुक्त किया (अप्रैल 2011) क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय का अंश ₹ 5.56 लाख रुपये अप्रैल 2011 में ही उपलब्ध कराया गया। अग्रेत्तर, जांच से पता चला कि नगर पंचायत ने उन स्थानों को जोड़ने वाली नालियों के निर्माण हेतु केवल तीन परियोजनाओं का निष्पादन किया था जो संस्वीकृत परियोजनाओं में वर्णित नहीं थी। अतः नगर पंचायत द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृत नालियों का एलाइनमेन्ट एवं प्राक्कलित लागत को परिवर्तित कर दिया गया था तथा ₹ 36.74 लाख रुपये की परियोजनाओं का निष्पादन प्रगति पर था जो योजनान्तर्गत संस्वीकृत नहीं थे तथा लेखापरीक्षा तिथि तक (नवम्बर 2011) इन तीन परियोजनाओं¹⁴ पर व्यय किये गये ₹ 12.27 लाख अनियमित थे। इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने आपत्तियां स्वीकार किया एवं बताया कि राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृत तीन परियोजनायें अन्य अनुदानों से निष्पादित करा ली गयी थी। राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुमति के बिना परिवर्तित परियोजनायें निष्पादन हेतु ली गयी। अधिशासी अधिकारी का उत्तर (नवम्बर 2011) स्वतः स्पष्ट था कि योजनान्तर्गत प्राप्त की गयी निधियाँ अनियमित रूप से अप्राधिकृत परियोजनाओं पर व्यय की गयी।

2.9.3(11) माप के बिना भुगतान

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि निष्पादित किये गये कार्य के भुगतान हेतु प्रभारी अवर अभियन्ता द्वारा विहित माप पुस्तिका में विस्तृत माप पूर्व में किया जाना चाहिए था। माप के साथ भुगतान को सम्बद्ध करना था। विस्तृत माप की प्रविष्टि कार्य के वास्तविक निष्पादन को प्रमाणित करती है। नगर पंचायत भरवारी, कौशाम्बी की माप पुस्तिका एवं प्रथम चालू देयकों की जांच से पता चला कि विवरण तथा निष्पादन की मात्रा दिये बिना केवल कार्य

¹³(1) नगर पंचायत कार्यालय एवं पावर हाउस होते हुए रेलवे फाटक से मेहता डिग्री कालेज तक नाली का निर्माण मूल्यांकित लागत ₹ 32.70 लाख।

(2) इस्लामियां स्कूल होते हुए वार्ड सं. 8, 12 से नगर पंचायत सीमा तक नाली का निर्माण मूल्यांकित लागत ₹ 19.62 लाख।

(3) वार्ड सं. एक नेतानगर में सातों मजार होते हुए स्वीपर के मकान तक नाली का निर्माण मूल्यांकित लागत ₹ 2.87 लाख।

(4) रामचन्द्र के मकान से सातों मजार तक नाली का निर्माण मूल्यांकित लागत ₹ 0.86 लाख।

(5) सातों मजार से पीपल तक नाली का निर्माण मूल्यांकित लागत ₹ 0.86 लाख।

¹⁴(1) मूरतगंज रोड पर भैयालाल साहू से दाध बाबा मन्दिर तक नाली निर्माण अनुमानित लागत ₹ 18.03 लाख।

(2) रेलवे फाटक के 650 मीटर पश्चात पावर हाउस तक नाली का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 18.87 लाख।

(3) बच्चा गैस एजेन्सी से पंकज के मकान होते हुए कालका रस्तोगी के मकान तक तथा चन्द्रकान्त शुक्ला के मकान से विस्वई तक नाली का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 5.84 लाख।

के मदों के नाम की प्रविष्टि के आधार पर ₹ 12.27 लाख का भुगतान किया गया था। भुगतान वस्तुतः निष्पादित कार्य के अनुरूप तथा सम्बन्धित नहीं था एवं इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इंगित किए जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था। अतः वित्तीय औचित्य के प्रावधानों को विस्तृत माप लिए बिना किया गया भुगतान कार्य के वास्तविक निष्पादन को प्रमाणित नहीं करता था। इसके अतिरिक्त वित्तीय औचित्य के प्रावधानों की अनदेखी की गयी।

2.9.4 निधियों का अवरुद्ध होना

नमूना जांच की गयी 57 में से सात शहरी स्थानीय निकायों¹⁵ के अभिलेखों की जांच (अगस्त-नवम्बर 2011) से पता चला कि ₹ 89.01 लाख लागत की परियोजनायें संस्वीकृत की गयी थी तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निधियाँ अवमुक्त किया (दिसम्बर 2008-अप्रैल 2011)। शहरी स्थानीय निकायों में निधियों का उपयोग करके निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों को पूर्व में ही अन्य योजना के अन्तर्गत निष्पादित अथवा संस्वीकृत किया गया था। राज्य स्तरीय चयन समिति ने निर्देशित किया (फरवरी 2010) की किसी भी प्रकरण में निधियों को कोई व्यावर्तन नहीं होगा तथा जहां ऐसे संस्वीकृत कार्य अन्य योजनाओं में सम्मिलित थे, संस्वीकृत धनराशि शासन को शीघ्र ही समर्पित कर दी जानी चाहिए। फिर भी दो शहरी स्थानीय निकायें यथा नगर पालिका परिषद बिन्दकी, जिला फतेहपुर तथा नगर पंचायत फतेहपुर, जिला बाराबंकी ने संस्वीकृत निधियां उन्हें अवमुक्त होने के पाँच माहों के व्यतीत होने के पश्चात समर्पित किया जबकि बची हुई अवशेष धनराशि ₹ 57.96 लाख शहरी स्थानीय निकायों में अनुपयोगी पड़ी थी। इंगित किए जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (सितम्बर-नवम्बर 2011) कि कार्यों को अन्य अनुदानों/निधियों से पहले ही प्रस्तावित/निष्पादित किया गया था, जिन कार्यों का अन्य अनुदानों से प्रस्तावित या निष्पादित कराया गया था शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं किया जाना था। यदि, फिर भी, ऐसे कार्यों को संस्वीकृत किया गया और राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निधियां अवमुक्त की गयी तो शासन को शीघ्र ही समर्पित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उत्तर मान्य नहीं था तथा ₹ 57.96 लाख अवरुद्ध रहा क्योंकि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं को अन्य किसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए था।

¹⁵(1) न.पा.प. बिन्दकी, जिला फतेहपुर ₹ 24.02 लाख ।

(3) न.प. अन्तू, जिला प्रतापगढ़ ₹ 11.83 लाख ।

(5) न.प. दुद्धी जिला सोनभद्र ₹ 13.97 लाख ।

(7) न.पा.प. कोसीकला, जिला मथुरा ₹ 8.05 लाख ।

(2) न.प. कटरा मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़ ₹ 5.29 लाख ।

(4) न.प. फतेहपुर, जिला बाराबंकी ₹ 7.03 लाख ।

(6) न.प. भरवारी जिला कौशाम्बी ₹ 18.82 लाख ।

2.9.5 इण्टरलाकिंग टाइल्स की क्षमता सुनिश्चित किए बिना इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण

आई0आर0सी0ःएस पी 63-2004 में निर्दिष्ट किया गया था कि इण्टरलाकिंग पेवर रोड के निर्माण में उपभोग के पूर्व इण्टरलाकिंग टाइल्स की किसी अनुमोदित तकनीकी संस्थान में प्रयोगशाला जांच कर ली जाय। विहित विशिष्टियों के अनुसार एक ब्लॉक की न्यूनतम व्यापक क्षमता 30 एम0 पी0 से अधिक होनी चाहिए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि 23 शहरी स्थानीय निकायों¹⁶ राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृत इण्टरलाकिंग पेवर रोड के निर्माण पर ₹ 6.56 करोड़ के इण्टरलाकिंग टाइल्स का उपयोग किया गया था। इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यापक क्षमता से सम्बन्धित विहित प्रयोगशाला जांच न तो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा न ही ठेकेदारों द्वारा करायी गयी। इस प्रकार मार्गों के निर्माण में उपयुक्त बिना जांच के इण्टरलाकिंग टाइल्स को गुणवत्ता एवं स्थायित्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इंगित किए जाने पर अधिशासी अधिकारी ने भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

2.9.6 सेस की कटौती न किया जाना

सरकार के परिपत्र (नवम्बर 2009) द्वारा सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भवनों या अन्य सन्निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में एक प्रतिशत उपकर प्रभावी 20 नवम्बर, 2009 से आरोपित एवं संग्रहीत करने तथा ऐसे उपकर की प्राप्तियों को कामगारों के कल्याण निधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।

नौ शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि अवधि नवम्बर 2009 से मार्च 2011 के दौरान मार्गों एवं नालियों के बहुत से कार्यों की लागत पर एक प्रतिशत उपकर धनराशि ₹ 7.19 लाख न तो आरोपित किया गया और न ही संग्रहीत किया गया। जैसा कि नीचे वर्णित है –

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय	वहन की गयी निर्माण लागत	उपकर की धनराशि
01	मथुरा	महावन, नन्दगाँव, बरसाना, फराह एवं छाता	472.00	4.72
02	हरदोई	शाहाबाद, बेनीगंज एवं लहरपुर	171.00	1.71
03	कौशाम्बी	सिराथू	76.00	0.76
योग			719.00	7.19

¹⁶ न.पा.प. मुबारकपुर, न.प. महाराजगंज, न.प. बिलरियागंज, न.प. निजामाबाद, न.प. अतरौलिया, न.प. सरायमीर, न.प. जियानपुर जिला आजमगढ़, न.पा.प. कोसीकला, न.प. छाता, न.प. फराह, न.प. बरसाना, न.प. नन्दगाँव, न.प. बाजना, न.प. राधाकुण्ड, न.प. महावन जिला मथुरा, न.पा.प. शाहाबाद, न.प. बेनीगंज, जिला हरदोई, न.पा.प. लहरपुर, न.पा.प. बिसवां, जिला सीतापुर, न.प. घोरावल, न.प. ओबरा, न.प. चुर्कडरमा, न.प. दुद्धी जिला सोनभद्र।

इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (सितम्बर-नवम्बर 2011) कि परिपत्र के अभाव में कटौती नहीं की जा सकी। फिर भी, अधिशासी अधिकारी ने भविष्य में निर्देशों को लागू करने का आश्वासन दिया।

2.10 आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

योजना को सफलतापूर्वक लागू करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने को नियन्त्रण एवं लागू करने वाले अभिकरणों हेतु यह आवश्यक है कि योजनान्तर्गत वृहत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, प्रस्तुत करने, संस्वीकृत व अनुमोदन स्तर पर आन्तरिक नियंत्रण बनाने हेतु सम्यक प्रणाली गठित करें। संस्वीकृत व निष्पादन स्तर पर योजनाओं के निष्पादन पर पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए तथा परियोजना का समग्र रूप से मूल्यांकन इसकी प्रभाविकता के निर्धारण हेतु नियत अन्तरालों के उपरान्त किया जाना चाहिए।

2.10.1 दिशानिर्देश में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा वृहत परियोजना प्रतिवेदन की तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु व्यवस्था की गयी थी। मूल्यांकन से सुनिश्चित करना था कि अनुमोदित परियोजनाएं तकनीकी रूप से सही हैं तथा निधियों का आवंटन उचित है। फिर भी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया।

2.10.1.2 दिशानिर्देश में राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृति से पूर्व वृहत परियोजना प्रतिवेदन को परियोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वित्तीय मूल्यांकन हेतु व्यवस्था की गयी थी। परियोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वृहत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन के समय सामान्यतः मर्दों एवं उनकी प्रमात्रा को निर्दिष्ट किये बिना प्राक्कलित धनराशि से कम किया गया था। फिर भी, संस्वीकृत परियोजनाओं की निष्पादन लागत अवश्यमेव भिन्न हो गयी थी इससे स्पष्ट था कि वित्तीय मूल्यांकन उचित एवं प्रभावी नहीं था।

2.10.1.3 दिशानिर्देश में छह समयबद्ध वैकल्पिक सुधारों को लागू करने हेतु व्यवस्था थी जिसमें से किन्हीं दो सुधारों को प्रत्येक वर्ष लागू करना था। फिर भी, दिशानिर्देश में प्रस्तावित सुधारों को परियोजनाओं की संस्वीकृति एवं निधियों की अवमुक्ति से सम्बद्ध किये जाने की प्रक्रिया नहीं बतायी गयी थी। इस प्रकार अपेक्षित सुधार केवल आंशिक रूप से लागू किये गये थे।

2.10.2 परियोजनाओं के संस्वीकृति आदेश में राज्य स्तरीय चयन समिति ने जिला अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकायों को प्रस्तावित सुधारों के साथ परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को मासिक आधार पर अनुश्रवण करने को निर्देशित किया था।

जिला अधिकारियों से इन प्रगति प्रतिवेदनों को निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से विहित प्रारूपों में सरकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षा थी।

शासन स्तर पर अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की जाँच करने से पता चला कि अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। इससे स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा योजना का अनुश्रवण प्रभावी नहीं रहा।

2.10.3 दिशानिर्देश में विशेष सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में तिमाही आधार पर योजना का अनुश्रवण करने को अनुश्रवण समिति के गठन हेतु व्यवस्था थी तथा लेखापरीक्षा तिथि तक (अगस्त 2011) अनुश्रवण समिति की 13 त्रैमासिक बैठकें अपेक्षित थीं। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि योजना आरम्भ होने के 27 माहों के पश्चात अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक 24 अप्रैल 2010 को सम्पन्न हुई थी। इस तथ्य के बावजूद कि समिति के अध्यक्ष ने निर्धारित प्रारूपों में अपेक्षित सूचनाएं अप्रैल 2010 के अन्त में उपलब्ध कराने को निर्देशित किया था, समिति की कोई अन्य बैठक नहीं हुई थी। इस प्रकार योजना के नियमित अनुश्रवण हेतु प्रावधानों पर दृढ़ नहीं रहा गया था।

2.11 निष्कर्ष

एक लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी स्थानीय निकायों में अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने (यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 से अनाच्छादित) तथा नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधार करने को सरकार द्वारा यह योजना आरम्भ की गयी थी। योजना पर सम्पादित की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि योजनान्तर्गत चार शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया था जो या तो एक लाख से अधिक आबादी वाली थी या यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 से आच्छादित थी। नमूना जाँच की गयी 57 शहरी स्थानीय निकायों में योजना के अन्तर्गत प्रकाश एवं स्वच्छता की परियोजनाओं के कुछ अपवादों को छोड़कर मुख्यतः मार्गों एवं नालियों के निर्माण हेतु परियोजनाएं संस्वीकृत की गयी थी। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों के एकीकृत विकास हेतु परियोजनाओं को लागू करने की योजना के उद्देश्य पर आंशिक विचार किया गया। योजना में नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रभावी नहीं था तथा निष्पादित की गयी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के स्तर पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन न किये जाने के परिणामस्वरूप संस्वीकृत परियोजनाओं की तकनीकी विशिष्टियों में एकरूपता का अभाव था। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णीत पूर्वनिश्चित सीमा के अनुसार परियोजना की वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की गयी थी। शहरी स्थानीय निकायों को

आवश्यकताओं एवं परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विचार नहीं किया गया था निधि प्रवहन अभियांत्रिकी दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप दृढ़ता से लागू नहीं थी। प्रथम किशत के रूप में शत प्रतिशत संस्वीकृत परियोजना लागत अवमुक्त की गयी थी। परियोजनाओं की अनुचित संस्वीकृति के कारण निधियों का अवरोधन, समर्पण एवं विचलन था। अतः अदक्ष नियोजन, निष्प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण तथा सुधारों के लागू करने में मन्द विकास के कारण सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के नागरिक योजना में बताये गये हितों से वंचित रहें।

2.12 संस्तुतियां

- (1) सरकार सुनिश्चित करे कि शहरी स्थानीय निकायों का चयन, परियोजनाओं की संस्वीकृति एवं निधियों का आवंटन विकास सूचकांक, स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं तथा निकायों द्वारा प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर आधारित हो।
- (2) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिला नियोजन समिति से अनुमोदित होनी चाहिए तथा जिला विकास नियोजन के साथ एकीकृत होनी चाहिए।
- (3) अनुवर्ती अवमुक्ति को सुधारों के लागू होने के साथ सम्बद्ध होना चाहिए।
- (4) अभिप्रेत लाभार्थियों को प्राप्त हितलाभों के निर्धारण हेतु नियत अन्तराल पर योजना के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाय।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (दिसम्बर 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

अध्याय—III

लेन देनों की लेखापरीक्षा

3.1 निष्फल व्यय

बिना आवश्यकता के जनरेटर के क्रय पर ₹ 6.62 लाख का निष्फल व्यय

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—छ: के प्रस्तर—179 के उपबन्धों के अन्तर्गत भण्डार सामग्री का क्रय अग्रिम रूप से अथवा आवश्यकता से अधिक करने के परिणामस्वरूप शासन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानि वहन करनी पड़ती है।

नगर पंचायत, दिबियापुर, औरैया के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी, 2011) में पाया गया कि अपर जिला अधिकारी, औरैया द्वारा (मई 2009) 62.5 के0वी0ए0 के जनरेटर के क्रय हेतु मेसर्स पावर साल्यूशन किलोस्कर हाउस, लखनऊ को आपूर्ति आदेश (जून 2009) के साथ ₹ 6.62 लाख का अग्रिम भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से दिया। टेण्डर नोटिस की निर्बन्धन एवं शर्तों के अनुसार फर्म को जनरेटर का पम्प हाउस में स्थापन एवं संयोजन करना था। फर्म द्वारा (जुलाई 2009) जनरेटर की आपूर्ति दो वर्ष की वारंटी अथवा 5000 रनिंग घण्टों के साथ कर दी गयी परन्तु फर्म द्वारा आपूर्तित जनरेटर नगर पंचायत में पड़ा था जबकि फर्म को पूर्ण भुगतान बिना संयोजन एवं स्थापन के कार्य पूर्ण हुए कर दिया गया जिसके लिए नगर पंचायत उत्तरदायी था। जनरेटर की वारंटी की अवधि समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जनरेटर बिना उपयोग के पड़ा था। यह दर्शाता है कि जनरेटर का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया एवं इसके क्रय पर ₹ 6.62 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2011) कि जनरेटर की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं था। उत्तर से पुष्टि होती है कि जनरेटर का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.2 परिहार्य व्यय

निर्धारित विशिष्टियों का अनुपालन न करने से बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 सड़क के निर्माण में टैक कोट के लिए बिटुमिन की अधिक खपत के परिणामस्वरूप ₹ 5.56 लाख का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों (अगस्त 2007) के अधीन बिटुमिनस सर्फेश अथवा प्राइम्ड सर्फेश के ऊपर बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 का कार्य करने हेतु टैक कोट

के कार्य हेतु बिटुमिन के खपत की मात्रा प्रति 100 वर्गमीटर सड़क हेतु 25 कि०ग्रा० निर्धारित है।

नगर निगम, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर, 2010) में पाया गया कि सात सड़कों का निर्माण वर्ष 2007–10 के दौरान अवस्थापना विकास निधि एवं निगम निधि के अन्तर्गत 62,742.695 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किया गया। इन मार्गों के बी०एम० एवं एस०डी०बी०सी० के कार्य में टैंक कोट हेतु प्राइमड एवं बी०एम० सर्फेश के ऊपर 50 कि०ग्रा० प्रति 100 वर्गमीटर की दर से बिटुमिन की खपत की गयी थी, जबकि 25 कि०ग्रा० प्रति 100 वर्गमीटर अनुमन्य थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.56 लाख का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट-3.1)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2010) नगर निगम द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कराया जाएगा।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों का अनुपालन न करने से बिटुमिन की अधिक खपत के परिणामस्वरूप ₹ 5.56 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.3 अनियमित व्यय

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 1.18 करोड़ का व्यय प्रावधान के विरुद्ध भूमि अध्यापित हेतु किया जाना।

बारहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदानों का व्यय शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केवल एकत्र करने, अलग करने एवं ढोने के कार्य हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। अनुदान का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि के क्रय पर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

नगर निगम, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2010) में पाया गया कि नगर निगम के पास (अप्रैल 2009) ₹ 1.37 करोड़ बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि अवशेष थी। नगर निगम द्वारा (सितम्बर 2009) ₹ 1.18 करोड़ का व्यय ठोस अपशिष्ट

प्रबन्धन हेतु भूमि के क्रय पर किया गया जबकि इसका व्यय ठोस अपशिष्ट एकत्र करने, अलग करने एवं ढोने के लिए किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2010) उत्तर में बताया गया कि ₹ 1.18 करोड़ की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट हेतु भूमि के अर्जन के लिए स्थानान्तरित की गयी थी।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा प्रावधानों एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर निधि का अनियमित उपभोग किया गया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2012)।

3.4 परिहार्य व्यय

केबिल के अधिक क्रय करने से ₹ 20.65 लाख का परिहार्य व्यय।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—छः के प्रस्तर 179 के प्रावधानों के अनुसार भण्डार सामग्री का क्रय अग्रिम रूप से अथवा आवश्यकता से अधिक करने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में शासन को हानि होने की सम्भावना होती है इसलिए इससे बचना चाहिए।

नगर पालिका परिषद, समथर झाँसी के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2010) में पाया गया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा (अगस्त 2009) 5000 मीटर 16 एम0एम0 की एल्यूमीनियम केबिल का क्रय मेसर्स राय सप्लायर्स झाँसी से न्यूनतम निविदा दर के आधार पर कर लिया एवं ₹ 15.34 लाख का भुगतान ₹ 295/— प्रति मीटर की दर से स्ट्रीट लाइटिंग हेतु किया गया (अगस्त 2009)। अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः 7000 मीटर केबिल का क्रय उसी विशिष्टियों एवं उसी आपूर्तिकर्ता से किया एवं ₹ 20.65 लाख का भुगतान (अक्टूबर 2009) ₹ 295/— प्रति मीटर की दर से उसी उद्देश्य के लिये किया गया। स्टॉक पंजिका की जांच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद में पूर्व से ही 640 मीटर केबिल स्टॉक में अक्टूबर 2009 में उपलब्ध था तब भी 7000 मीटर केबिल अतिरिक्त क्रय बिना किसी सर्वे, वास्तविक आवश्यकता के किया गया। स्टॉक में अक्टूबर 2009 में कुल 7,640 मीटर केबिल अवशेष था एवं क्रय के 12 माह व्यतीत होने के उपरान्त अक्टूबर 2010 तक 7000 मीटर केबिल पड़ा था। इस प्रकार ₹ 20.65 लाख में 7000 मीटर केबिल बिना सर्वे

के अग्रिम रूप में क्रय करने से अप्रयुक्त पड़ा था। पुनः नगर पालिका परिषद द्वारा (सितम्बर 2011) स्टाक रजिस्टर की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें 5,742 मीटर¹⁷ केबिल श्री फूलखान, इलेक्ट्रीशियन को निर्गत दर्शायी गयी जो (अक्टूबर 2010 से मई 2011) आठ माह में निर्गत की गयी, अधिकतर सामग्री का निर्गम कम समय में बल्क में बिना उसके उपभोग प्रमाण पत्र सत्यापित हुए किया गया। इस प्रकार, इलेक्ट्रीशियन को बल्क में स्टाक निर्गत करना केवल स्टाक स्थानान्तरण करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया (सितम्बर 2011) की 5000 मीटर केबिल का उपयोग 206 खम्बों में 6 मार्च से 15 दिसम्बर 2010 के दौरान किया गया। उत्तर तथ्यों के विपरीत था क्योंकि इलेक्ट्रीशियन द्वारा 206 खम्बों में केबिल का उपयोग मार्च 2010 तक अभिलिखित किया था एवं स्टाक से निर्गत बाद की तिथि (अक्टूबर 2010 से मई 2011) में केवल स्टाक स्थानान्तरण था। अतः अधिशासी अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है। इस प्रकार, 7000 मीटर केबिल का क्रय ₹ 20.65 लाख में बिना तत्काल आवश्यकता के अग्रिम एवं अधिक किया गया था जिसका उपयोग सितम्बर 2011 एवं 24 माह की अवधि व्यतीत होने पर भी नहीं किया जा सका था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2012)।

3.5 निधि का अवरोधन

लखनऊ में सालिड-वेस्ट ट्रीटमेन्ट की परियोजना अनियोजित ढंग से आरम्भ करने के कारण ₹ 10.73 करोड़ की निधि 45 माह तक अनुत्पादक पड़े रहना।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार मिशन के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तभी तैयार करना एवं अनुमोदित करना चाहिए जब वांछित भूमि शहरी स्थानीय निकाय/समानान्तरण के स्वामित्व/पूर्व में क्रय की गयी हो तथा भू-स्वामित्व भारमुक्त एवं स्पष्ट हो। निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित परियोजना को निष्पादित करने के लिए नगर निगम, लखनऊ के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ₹ 42.92 करोड़ की लागत में (केन्द्रीय संस्वीकृत एवं अनुश्रवण समिति ने) अनुमोदित किया

¹⁷ 30 अक्टूबर, 2010 1500 मीटर, 01 नवम्बर 2010 42 मीटर, 13 अप्रैल 2011 100 मीटर, 28 मई 2011 2000 मीटर, 30 मई 2011 1500 मीटर एवं 31 मई 2011 600 मीटर।

गया। नगर निगम के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2010) तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ से संग्रहीत सूचनाओं (जुलाई 2011) से पता चला कि योजना की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी ने शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत शोधन संयंत्र के निर्माण से सम्बन्धित प्राथमिक कार्य आरम्भ करने हेतु नगर निगम को ₹ 10.73 करोड़¹⁸ अन्तरित किया (नवम्बर 2007) बदले में नगर निगम ने शोधन संयंत्र के निर्माण को आरम्भ करने हेतु महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ (निष्पादन अभिकरण) को ₹ 3.48 करोड़ अन्तरित किया (फरवरी 2008) तथा अवशेष धनराशि ₹ 7.25 करोड़ नगर निगम के पास पड़ी थी। फिर भी, चिन्हित भूमि के विवादित होने के कारण नगर निगम से प्राप्त की गयी निधियों के 45 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका (जुलाई 2011)। इस प्रकार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना नगर निगम को प्रदान किया गया ₹ 10.73 करोड़ 45 माह से अप्रयुक्त पड़ा था (नगर निगम के पास ₹ 7.25 करोड़ तथा निष्पादन अभिकरण के पास ₹ 3.48 करोड़)।

इंगित किये जाने पर, निदेशक ने बताया (जुलाई 2011) कि भारत सरकार की प्रत्याशा के अनुसार संस्वीकृत (2006-07) परियोजना नियत समय के अन्दर पूर्ण किया जाना था। अक्टूबर 2008 तक डसरी ग्राम में अपेक्षित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर थी तथा निधियाँ निष्पादन अभिकरण को कार्यारम्भ हेतु अवमुक्त की गयी थी किन्तु भूमि के विवादित हो जाने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका तथा प्रकरण न्यायालय में ले जाया गया।

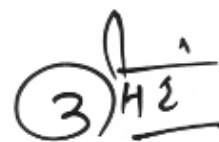
भारमुक्त एवं स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश में उपबन्ध किया गया था। परियोजना हेतु चिन्हित भूमि के विवादित हो जाने से प्रदर्शित होता है कि भूमि के स्वामित्व का सम्यक सत्यापन नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था तथा परियोजना हेतु निधियाँ अवरुद्ध हो गयी। इस प्रकार, उत्तर मान्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया से बहुत पहले (अक्टूबर 2008) ही नगर निगम एवं निष्पादन अभिकरण को क्रमशः नवम्बर 2007 एवं फरवरी 2008 में निधियाँ अन्तरित की गयी थी। अतः परियोजना कार्य के अनियोजित होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत

¹⁸ भारत सरकार का अंश ₹ 5.36 करोड़, राज्य सरकार ₹ 2.15 करोड़ एवं नगर निगम ₹ 3.22 करोड़ का अंश धनराशि में सम्मिलित है।

शहर में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट हेतु शोधन संयंत्र निधियों की उपलब्धता के 45 माहों के पश्चात् स्थापित नहीं की जा सकी तथा अन्तरित की गयी धनराशि अनुत्पादक पड़ी थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (जून, 2011); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2012)।

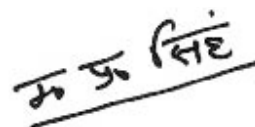
इलाहाबाद
दिनांक



यू.पी. सिंह सिसोदिया
उपमहालेखाकार
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक



मुकेश पी. सिंह
प्रधान महालेखाकार
(सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट-1.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं.-1.5.2 पृष्ठ सं.-6)
वर्ष 2009-10 के दौरान कर संग्रह में बकाया

अ. नगर पालिका परिषद

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	इकाई	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान संग्रह	31.03.2010 को अन्तिम अवशेष
1	अम्बेडकर नगर	जलालपुर	4.62	5.08	9.70	4.33	5.37
2	बिजनौर	शिवहारा	18.10	9.69	27.79	10.94	16.85
3	बुलन्दशहर	डिबाई	0	10.66	10.66	0	10.66
4	बुलन्दशहर	गुलावटी	28.34	21.51	49.85	19.81	30.04
5	बुलन्दशहर	जहांगीराबाद	0	74.34	74.34	0	74.34
6	इटावा	भरथना	42.54	20.76	63.3	20.26	43.04
7	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	0	176.61	176.61	86.03	90.58
8	गाजीपुर	जमनियां	0	31.55	31.55	14.58	16.97
9	गोण्डा	नवाबगंज	0	6.52	6.52	0	6.52
10	हमीरपुर	हमीरपुर	59.66	49.67	109.33	45.51	63.82
11	जालौन	कालपी	21.91	30.32	52.23	19.87	32.36
12	झांसी	मऊरानीपुर	16.72	32.03	48.75	34.08	14.67
13	कन्नौज	छिबरामऊ	37.40	19.80	57.20	12.40	44.80
14	कन्नौज	कन्नौज	162.23	45.27	207.50	20.91	186.59
15	कानपुर देहात	पुखरायां	5.10	15.10	20.20	9.67	10.53
16	कांशीराम नगर	सोरो	3.87	13.80	17.67	4.36	13.31
17	मुजफ्फरनगर	कैराना	48.75	56.98	105.73	91.05	14.68
18	रामपुर	स्वार	8.92	14.06	22.98	9.97	13.01
19	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	472.39	101.48	573.87	123.34	450.53
20	शाहजहांपुर	तिलहर	0	10.12	10.12	0.61	9.51
21	उन्नाव	गंगाघाट	73.62	28.93	102.55	10.10	92.45
योग			1004.17	774.28	1778.45	537.82	1240.63

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका- 2010-11)

ब. नगर पंचायत

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	इकाई	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान संग्रह	31.03.2010 को अन्तिम अवशेष
1	आगरा	फतेहाबाद	24.13	8.59	32.72	6.88	25.84
2	आगरा	पिनहर	8.04	13.83	21.87	7.21	14.66
3	आगरा	स्वामीबाग	3.37	4.40	7.77	4.90	2.87
4	अलीगढ़	छर्चा	16.90	3.00	19.90	2.67	17.23
5	अलीगढ़	हरदुआगंज	23.09	12.95	36.04	7.15	28.89
6	अलीगढ़	पिलखनी	7.82	0.30	8.12	0.48	7.64
7	अलीगढ़	विजयगढ़	2.48	3.44	5.92	0.85	5.07
8	अम्बेडकर नगर	असरफपुर	0.21	0.25	0.46	0.06	0.40
9	औरैया	बाबरपुर	12.24	5.94	18.18	4.22	13.96
10	बदायूँ	दातागंज	8.39	19.10	27.49	19.00	8.49
11	बदायूँ	रुद्रवन	2.10	2.40	4.50	1.59	2.91

12	बदायूँ	उसावा	19.05	7.03	26.08	8.48	17.60
13	बागपत	टिकरी	9.01	13.14	22.15	1.21	20.94
14	बलिया	शहतवार	13.33	0.00	13.33	2.52	10.81
15	बलिया	सिकन्दरपुर	13.44	7.24	20.68	1.12	19.56
16	बांदा	बबेरू	3.98	7.06	11.04	7.83	3.21
17	बांदा	नरैनी	1.37	7.00	8.37	7.81	0.56
18	बांदा	तिण्डवारी	15.72	10.14	25.86	9.98	15.88
19	बाराबंकी	दरियाबाद	9.00	4.12	13.12	2.42	10.70
20	बरेली	मीरगंज	10.96	1.85	12.81	3.21	9.60
21	बरेली	तिरिया निजावत	12.94	5.57	18.51	5.52	12.99
22	बुलन्दशहर	औरंगाबाद	21.27	4.65	25.92	1.89	24.03
23	बुलन्दशहर	छतारी	3.60	6.59	10.19	5.81	4.38
24	बुलन्दशहर	ककवड़	0.56	4.37	4.93	2.62	2.31
25	एटा	पटियाली	11.68	9.01	20.69	4.27	16.42
26	एटा	राजा का रामपुर	3.17	3.93	7.10	4.00	3.10
27	इटावा	एकदिल	29.75	9.94	39.69	1.22	38.47
28	गौतमबुद्धनगर	विलासपुर	3.61	2.32	5.93	2.58	3.35
29	गौतमबुद्धनगर	जहांगीरपुर	1.23	1.04	2.27	1.04	1.23
30	गौतमबुद्धनगर	खुपुरा	8.21	3.09	11.30	2.21	9.09
31	गौतमबुद्धनगर	जेवर	24.02	1.31	25.33	1.17	24.16
32	गाजीपुर	दिलदारनगर	0.93	1.31	2.24	0.79	1.45
33	हमीरपुर	कुरारा	2.12	3.27	5.39	3.62	1.77
34	जे.पी.नगर	जोया	11.31	5.64	16.95	5.46	11.49
35	जे.पी.नगर	उझारी	9.74	4.82	14.56	2.21	12.35
36	जालौन	कदौरा	1.30	3.05	4.35	0.93	3.42
37	जालौन	कोहरा	1.30	3.00	4.30	0.17	4.13
38	जालौन	नदीग्राम	0.82	0.29	1.11	0.05	1.06
39	झांसी	गरौथा	2.64	6.68	9.32	2.75	6.57
40	झांसी	रानीपुर	10.48	2.78	13.26	3.92	9.34
41	कानपुर	शिवराजपुर	7.05	3.98	11.03	2.78	8.25
42	कानपुर देहात	डेरापुर	3.41	1.45	4.86	0.72	4.14
43	कानपुर देहात	झिझक	7.35	8.18	15.53	4.96	10.57
44	कानपुर देहात	रसूलाबाद	0.00	3.00	3.00	1.71	1.29
45	कांशीराम नगर	सिद्धपुरा	17.10	3.17	20.27	2.43	17.84
46	कांशीराम नगर	बिलग्राम	0.00	15.24	15.24	5.05	10.19
47	लखीमपुर खीरी	बारबर	2.48	0.07	2.55	0.03	2.52
48	महोबा	खरेला	3.21	2.51	5.72	2.35	3.37
49	मैनपुरी	भोगांव	8.17	2.48	10.65	3.89	6.76
50	मैनपुरी	ज्योति सराय	6.60	0.82	7.42	0.49	6.93
51	मैनपुरी	करहल	7.65	5.00	12.65	4.13	8.52
52	मैनपुरी	किशनी	4.77	1.94	6.71	2.00	4.71
53	मैनपुरी	कुसमई	9.22	0.50	9.72	0.50	9.22
54	मथुरा	गोकुल	7.88	1.51	9.39	3.83	5.56
55	मथुरा	गोवर्धन	4.29	5.64	9.93	0.07	9.86
56	मेरठ	फलावदा	8.59	10.98	19.57	14.57	5.00
57	मेरठ	करनावल	1.37	6.27	7.64	5.35	2.29
58	मुरादाबाद	भोजपुर	6.93	3.01	9.94	2.37	7.57

59	मुरादाबाद	कुरराकी	4.58	2.06	6.64	1.12	5.52
60	मुरादाबाद	उमरीकला	3.75	1.91	5.66	0.53	5.13
61	मुजफ्फरनगर	एलम	10.77	2.20	12.97	2.44	10.53
62	मुजफ्फरनगर	थानाभवन	1.56	19.17	20.73	16.34	4.39
63	मुजफ्फरनगर	पुरकाजी	21.61	18.93	40.54	12.65	27.89
64	मुजफ्फरनगर	चरथावल	0.23	13.13	13.36	7.54	5.82
65	पीलीभीत	अमरिसा	6.23	0.55	6.78	0.26	6.52
66	पीलीभीत	नेवरिया	6.24	0.55	6.79	0.26	6.53
67	सहारनपुर	अम्बेहट	0.00	15.90	15.90	11.83	4.07
68	सहारनपुर	बेहट	0.44	17.75	18.19	15.16	3.03
69	सहारनपुर	सुल्तानपुर	2.55	8.05	10.60	7.26	3.34
70	संत कबीरनगर	सुरियांवा	22.78	6.22	29.00	4.92	24.08
71	संत रविदासनगर	खमरिया	26.04	7.39	33.43	5.14	28.29
72	शाहजहांपुर	अल्लागंज	3.70	2.20	5.90	0.72	5.18
73	शाहजहांपुर	खुदागंज	2.08	2.54	4.62	4.21	0.41
74	शाहजहांपुर	आर.एस. रोजा	0.00	9.00	9.00	4.87	4.13
75	उन्नाव	गंज मुरादाबाद	1.41	1.86	3.27	1.81	1.46
76	उन्नाव	हैदराबाद	1.58	1.26	2.84	1.12	1.72
77	उन्नाव	मऊरावन	17.46	5.05	22.51	6.64	15.87
78	उन्नाव	मोहान	7.98	2.68	10.66	0.50	10.16
79	उन्नाव	पुरुवा	23.13	6.28	29.41	4.70	24.71
योग—			635.50	434.87	1070.37	319.07	751.30

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका- 2010-11)

परिशिष्ट-1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं.-1.8 पृष्ठ सं.-8)

31 मार्च 2010 को रोकड़ अवशेषों का मिलान न किया जाना

अ- नगर निगम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	रोकड़ बही के अनुसार	पासबुक के अनुसार	अन्तर
1.	नगर निगम, लखनऊ	18681.25	17299.77	1381.48

ब- नगर पालिका परिषद

क्र. सं.	इकाई का नाम	रोकड़ बही के अनुसार	पासबुक के अनुसार	अन्तर
1.	नगर पालिका परिषद, अनूप शहर, बुलन्दशहर	12.66	12.77	0.11
2.	नगर पालिका परिषद, गुलावटी, बुलन्दशहर	31.01	35.28	4.26
3.	नगर पालिका परिषद, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर	197.41	208.88	11.47
4.	नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, बुलन्दशहर	640.73	743.63	102.90
5.	नगर पालिका परिषद, शाहजहांपुर, जलालाबाद	173.91	173.77	0.14
6.	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर, झांसी	33.08	60.65	27.57
7.	नगर पालिका परिषद, पडरौना, कुशीनगर	221.85	223.10	1.25
8.	नगर पालिका परिषद, कांधला, मुजफ्फरनगर	15.36	23.18	7.82
9.	नगर पालिका परिषद, शाहजहांपुर	227.40	284.45	57.06
10.	नगर पालिका परिषद, मरहरा, एटा	25.82	32.82	7.00
			योग	219.58

स- नगर पंचायत

क्र. सं.	इकाई का नाम	रोकड़बही के अनुसार	पासबुक के अनुसार	अन्तर
1.	नगर पंचायत, टिकरी, बागपत	12.96	20.06	7.10
2.	नगर पंचायत, बिसण्डा, बांदा	32.83	95.61	62.78
3.	नगर पंचायत, जोया, जे०पी०नगर	11.13	35.23	24.10
4.	नगर पंचायत, उझारी, जे०पी०नगर	54.11	56.19	2.08
5.	नगर पंचायत, गौरठा, झांसी	3.76	9.22	5.46
6.	नगर पंचायत, रानीपुर, झांसी	14.65	14.88	0.23
7.	नगर पंचायत, तोदीफतेहपुर, झांसी	14.68	17.17	2.49
8.	नगर पंचायत, रसूलाबाद, कानपुर देहात	75.83	80.74	4.91
9.	नगर पंचायत, भोजपुर, मुरादाबाद	6.86	7.07	0.21
10.	नगर पंचायत, एलम, मुजफ्फरनगर	1.56	1.42	0.14
11.	नगर पंचायत, गरीपुख्ता, मुजफ्फरनगर	32.54	32.59	0.05
12.	नगर पंचायत, सुरियावां, संत कबीरनगर	3.98	4.99	1.01
13.	नगर पंचायत, अल्लागंज, शाहजहांपुर	25.21	26.14	0.93
14.	नगर पंचायत, काठ, शाहजहांपुर	18.93	54.50	35.57
15.	नगर पंचायत, आर.एस.रोजा, शाहजहांपुर	8.48	10.82	2.34
16.	नगर पंचायत, दरियाबाद, बाराबंकी	1.82	7.79	5.97
17.	नगर पंचायत, तिरिया निजावत, बरेली	11.26	11.78	0.52
18.	नगर पंचायत, बारबर, लखीमपुर खीरी	23.45	30.52	7.07

19.	नगर पंचायत, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर	7.40	8.96	1.56
20.	नगर पंचायत, बबेरू, बांदा	6.60	14.19	7.59
21.	नगर पंचायत, ज्योति सराय, मैनपुरी	2.10	4.27	2.17
22.	नगर पंचायत, चरथावल, मुजफ्फरनगर	19.89	43.53	23.64
23.	नगर पंचायत, तिन्दवारी, बांदा	3.32	3.25	0.07
			योग	197.99

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका- 2010-11)

परिशिष्ट-2.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.7.7 पृष्ठ सं.-23)
राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन के बिना
परियोजनाओं की संस्वीकृति

क्र. स.	जिले का नाम	भाहरी स्थानीय निकाय का नाम	इण्टर लॉकिंग रोड का सब बेस	सी सी रोड का सब बेस	सी सी रोड का टापकोट
1.	आजमगढ़	न पा प मुबारकपुर	1:6:12	—	—
2.		न प महाराजगंज	डब्लू.बी.एम.	—	—
3.		न प बिलरियागंज	डब्लू.बी.एम.	—	—
4.		न प निजामाबाद	1:6:12	—	—
5.		न प अतरौलिया	डब्लू.बी.एम.	—	—
6.		न प सरायमीर	डब्लू.बी.एम.	—	—
7.		न प जियानपुर	डब्लू.बी.एम.	—	—
8.	बाराबंकी	न पा प नवाबगंज	1:6:12	—	—
9.		न प हैदरगढ़	1:4:8	—	—
10.		न प फतेहपुर	1:6:12	—	—
11.		न प बंकी	1:4:8	—	—
12.		न प सिद्धौर	1:4:8	—	—
13.		न प जैदपुर	—	1:6:12	1:1.5:3
14.	फतेहपुर	न पा प बिन्दकी	1:6:12	1:6:12	1:2:4
15.	हरदोई	न पा प शाहाबाद	1:6:12	—	—
16.		न प बेनीगंज	1:6:12	—	—
17.		न प गोपामऊ	1:6:12	—	—
18.		न पा प सण्डीला	—	1:6:12	1:2:4
19.	जौनपुर	न प जफराबाद	1:6:12	—	—
20.		न प खेता सरायं	1:6:12	—	—
21.	कौशाम्बी	न प करारी	1:6:12	—	—
22.		न प भरवारी	—	1:4:8	1:2:4
23.		न प अजुहा	1:6:12	1:4:8	1:2:4
24.		न प सिराथू	1:6:12	—	—
25.	मथुरा	न प बाजना	1:6:12	—	—
26.		न प बरसाना	1:6:12	—	—
27.		न प महावन	1:6:12	—	—
28.		न प राधाकुण्ड	1:6:12	—	—
29.		न प छाता	1:6:12	—	—
30.		न प फराह	1:6:12	—	—
31.		न प नन्दगांव	1:6:12	—	—
32.		न पा प कोसीकला	—	1:6:12	1:2:4
33.	प्रतापगढ़	न प अन्तू	1:6:12	—	—
34.		न प कटरामेदनीगंज	1:4:8	—	—

35.		न प पट्टी	1:6:12	—	—
36.	संत रविदास नगर	न प नई बाजार	1:6:12	—	—
37.		न प घोसिया	1:5:10	—	—
38.		न प ज्ञानपुर	1:6:12	—	—
39.		न पा प गोपीगंज	—	1:6:12	1:2:4
40.	सीतापुर	न पा प लहरपुर	1:6:12	—	—
41.		न पा प बिसवां	1:4:8	1:4:8	1:2:4
42.		न पा प खैराबाद	1:6:12	1:6:12	1:2:4
43.		न प सिधौली	1:4:8	—	—
44.		न प हरगांव	1:5:10	—	—
45.	सोनभद्र	न प ओबरा	डब्लू.बी.एम.	1:4:8	1:2:4
46.		न प चुर्कडरमा	डब्लू.बी.एम.	—	—
47.		न प पिपरी	1:4:8	1:4:8	1:2:4
48.		न प घोरावल	डब्लू.बी.एम.	—	—
49.		न प दुद्धी	डब्लू.बी.एम.	—	—
50.	सुल्तानपुर	न प कादीपुर	1:6:12	—	—

परिशिष्ट-2.2
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.7.9 पृष्ठ सं.-24)
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की अनदेखी करना

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रस्तावित लागत	कुल संस्वीकृति
1.	आजमगढ़	न पा प मुबारकपुर	158.42	55.56
2.		न प महाराजगंज	159.22	105.56
3.		न प बिलरियागंज	126.65	96.07
4.		न प अतरौलिया	256.79	111.12
5.		न प सरायमीर	126.18	111.12
6.		न प जियानपुर	152.47	111.12
7.	बाराबंकी	न पा प नवाबगंज	192.24	111.12
8.		न प हैदरगढ़	204.00	111.12
9.		न प बंकी	223.00	111.12
10.		न प सिद्धौर	421.05	111.12
11.	हरदोई	न पा प पिहानी	279.50	111.12
12.		न प बेनीगंज	179.29	111.12
13.		न प गोपामऊ	389.62	111.12
14.		न प माधोगंज	192.75	111.12
15.	जौनपुर	न प केराकत	542.11	111.12
16.		न प खेता सरायं	166.69	111.12
17.	कौशाम्बी	न प सिराथू	313.00	55.56
18.		न प भरवारी	259.67	55.56
19.	मथुरा	न पा प कोसीकला	156.78	55.56
20.		न प बरसाना	322.30	111.12
21.		न प राधाकुण्ड	140.78	111.12
22.		न प फराह	362.00	87.04
23.		न प नन्दगांव	337.32	111.12
24.	संत रविदास नगर	न प नई बाजार	162.79	111.12
25.		न प ज्ञानपुर	156.95	55.56
26.		न पा प गोपीगंज	511.35	55.56
27.	सीतापुर	न पा प लहरपुर	103.38	102.39
28.		न पा प बिसवा	177.67	75.12
29.		न पा प खैराबाद	201.61	111.12
30.		न प सिधौली	151.72	55.56

परिशिष्ट-2.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.8.1 पृष्ठ सं.-26)

दिशा निर्देशों के उल्लघन में निधियों की अवमुक्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	किस्त संख्या	संस्वीकृत धनराशि	मूल्यांकित लागत	अवमुक्त धनराशि आधिक्य (+) / कमी (-)
1.	आजमगढ़	न पा प मुबारकपुर	प्रथम	55.56	54.53	1.03
2.		न प महाराजगंज	प्रथम	55.56	56.46	0.90
3.		न प बिलरियागंज	प्रथम	55.56	55.38	0.18
4.		न प निजामाबाद	प्रथम	55.56	55.33	0.23
5.		न प अतरौलिया	प्रथम	55.56	55.32	0.24
			द्वितीय	55.56	55.03	0.53
6.		न प सरायमीर	प्रथम	55.56	54.99	0.57
			द्वितीय	55.56	57.76	(-) 2.20
7.		न प जियानपुर	प्रथम	55.56	55.87	(-) 0.31
			द्वितीय	55.56	59.17	(-) 3.61
8.	बाराबंकी	न पा प नवाबगंज	प्रथम	55.56	55.07	0.49
			द्वितीय	55.56	60.36	(-) 4.80
9.		न प देवा	प्रथम	55.56	55.86	(-) 0.30
10.		न प हैदरगढ़	प्रथम	55.56	55.83	(-) 0.27
			द्वितीय	55.56	57.91	(-) 2.35
11.		न प फतेहपुर	प्रथम	55.56	57.08	(-) 1.52
12.		न प रामनगर	प्रथम	55.56	55.24	0.32
13.		न प जैदपुर	प्रथम	55.56	55.70	(-) 0.14
14.		न प सतरिख	प्रथम	55.56	56.19	(-) 0.63
15.		न प बंकी	प्रथम	55.56	55.00	0.56
			द्वितीय	55.56	57.79	(-) 2.23
16.		न प सिद्धौर	प्रथम	55.56	59.01	(-) 3.45
			द्वितीय	55.56	55.21	0.35
17.	फतेहपुर	न पा प बिन्दकी	प्रथम	55.56	55.18	0.38
			द्वितीय	55.56	58.97	(-) 3.41
18.	हरदोई	न पा प शाहाबाद	प्रथम	55.56	61.07	(-) 5.51
19.		न पा प पिहानी	प्रथम	55.56	57.98	(-) 2.42
			द्वितीय	55.56	56.97	(-) 1.41
20.		न पा प सण्डीला	प्रथम	55.56	55.03	0.53
21.		न प बेनीगंज	द्वितीय	55.56	57.04	(-) 1.48
22.		न प गोपामऊ	प्रथम	55.56	56.06	(-) 0.50
			द्वितीय	55.56	55.41	0.15
23.		न प बिलग्राम	प्रथम	55.56	81.94	(-) 26.48
24.		न प माधोगंज	प्रथम	55.56	55.09	0.47
			द्वितीय	55.56	56.45	(-) 0.89

			द्वितीय	55.56	57.10	(-) 1.54
26.		न प जफराबाद	प्रथम	55.56	57.92	(-) 2.36
			द्वितीय	55.56	57.03	(-) 1.47
27.		न प खेतासराय	प्रथम	55.56	57.28	(-) 1.72
			द्वितीय	55.56	55.60	(-) 0.04
28.		न प करारी	प्रथम	55.56	55.52	0.04
			द्वितीय	55.56	56.60	(-) 1.04
29.	कौशाम्बी	न प अजुहा	प्रथम	55.56	56.10	(-) 0.54
30.		न प सिराथू	प्रथम	55.56	55.49	0.07
31.		न प भरवारी	प्रथम	55.56	57.18	(-) 1.62
32.		न पा प कोसीकला	प्रथम	55.56	55.58	(-) 0.02
33.		न प बाजना	प्रथम	55.56	56.26	(-) 0.70
			द्वितीय	31.49	33.34	(-) 1.87
34.		न प बरसाना	प्रथम	55.56	57.75	(-) 2.01
			द्वितीय	55.56	55.79	(-) 0.23
35.		न प महावन	प्रथम	55.56	57.15	(-) 1.59
			द्वितीय	55.56	63.53	(-) 7.97
36.	मथुरा	न प राधाकुण्ड	प्रथम	55.56	55.66	(-) 0.10
			द्वितीय	55.56	56.41	(-) 0.85
37.		न प छाता	प्रथम	55.56	55.16	0.40
			द्वितीय	55.56	56.81	(-) 1.25
38.		न प फराह	प्रथम	55.56	59.55	(-) 3.99
			द्वितीय	31.48	32.56	(-) 1.08
39.		न प नन्दगांव	प्रथम	55.56	56.47	(-) 0.91
			द्वितीय	55.56	56.83	(-) 1.27
40.		न प अन्तू	द्वितीय	55.56	55.77	(-) 0.21
41.	प्रतापगढ़	न प पट्टी	प्रथम	55.56	56.32	(-) 0.76
			द्वितीय	55.56	55.00	0.56
42.		न प नई बाजार	प्रथम	55.56	55.58	(-) 0.02
			द्वितीय	55.56	56.34	(-) 0.78
43.	संत रविदास नगर	न प घोसिया	प्रथम	55.56	54.98	0.58
			द्वितीय	42.40	43.11	(-) 0.71
44.		न प ज्ञानपुर	प्रथम	55.56	55.20	0.36
45.		न पा प गोपीगंज	प्रथम	55.56	55.05	0.51
46.		न पा प लहरपुर	प्रथम	55.56	55.50	0.06
47.		न पा प बिसवां	द्वितीय	55.56	57.14	(-) 1.58
48.	सीतापुर	न पा प खैराबाद	प्रथम	55.56	55.55	0.01
			द्वितीय	55.56	55.77	(-) 0.21
49.		न प सिधौली	प्रथम	55.56	55.11	0.45
50.		न प हरगांव	प्रथम	55.56	55.05	0.51
			द्वितीय	55.56	56.24	(-) 0.68
51.	सोनभद्र	न प ओबरा	प्रथम	55.56	55.69	(-) 0.13
			द्वितीय	55.56	56.48	(-) 0.92
52.		न प चुर्कडरमा	प्रथम	55.56	57.37	(-) 1.81

			द्वितीय	55.56	57.22	(-) 1.66
53.		न प पिपरी	प्रथम	55.56	55.39	0.17
54.		न प घोरावल	प्रथम	27.77	27.65	0.12
			तृतीय	55.56	55.04	0.52
55.		न प दुद्धी	प्रथम	55.56	54.99	0.57
56.	सुल्तानपुर	न प कादीपुर	प्रथम	55.56	56.83	(-) 1.27
			द्वितीय	55.56	55.00	0.56

परिशिष्ट-2.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.8.3 पृष्ठ सं.-27)

शहरी स्थानीय निकाय के अंश जमा करने में विलम्ब तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निधियों की विलम्बित अवमुक्ति

क्र. सं.	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	राज्य स्तरीय चयन समिति की संस्वीकृति की तिथि	शहरी स्थानीय निकाय के अंश जमा की तिथि	विलम्बित जमा (दिनों में)	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी की अवमुक्ति की तिथि	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा विलम्बित अवमुक्ति (दिनों में)
1.	आजमगढ़	न पा प मुबारकपुर	28.08.08	13.10.08	47	21.11.08	32
2.		न प महाराजगंज	28.08.09	08.02.10	157	06.03.10	19
3.		न प बिलरियागंज	22.08.08	10.11.08	75	21.11.08	5
4.		न प निजामाबाद	22.08.08	19.11.08	74	21.11.08	शून्य
5.		न प अतरौलिया	25.08.08	24.10.08	54	15.12.08	45
6.		न प सरायमीर	28.02.10	25.03.10	18	09.04.10	8
7.		न प जियानपुर	28.02.10	22.03.10	15	09.04.10	9
8.	बाराबंकी	न पा प नवाबगंज	28.08.08	10.10.08	36	21.10.08	4
9.		न प देवा	28.08.09	12.01.10	128	16.02.10	28
10.		न प हैदरगढ़	28.08.09	19.01.10	135	16.02.10	21
11.		न प फतेहपुर	28.08.08	10.10.08	36	21.10.08	4
12.		न प रामनगर	08.09.09	22.02.10	157	30.03.10	29
13.		न प जैदपुर	08.09.09	05.02.10	141	06.03.10	23
14.		न प सतरिख	28.08.08	23.09.08	19	06.11.08	37
15.		न प बंकी	28.08.09	23.11.09	79	18.01.10	49
16.		न प सिद्धौर	08.09.09	19.01.10	93	19.01.10	शून्य
17.	फतेहपुर	न पा प बिन्दकी	28.08.08	19.09.08	15	14.10.08	15
18.	हरदोई	न पा प शाहाबाद	28.08.09	17.11.09	32	18.01.10	44
19.		न पा प पिहानी	08.09.09	14.12.09	91	20.01.10	31
20.		न पा प सण्डीला	08.09.09	14.12.09	91	20.01.10	31
21.		न प बेनीगंज	10.12.08	03.01.09	17	17.02.09 26.02.09	47 तक
22.		न प गोपामऊ	06.08.10	25.08.10	13	15.09.10	14
23.		न प बिलग्राम	28.02.10	19.03.10	13	09.04.10	13
24.		न प माधोगंज	28.02.10	20.03.10	13	09.04.10	13
25.	जौनपुर	न प केराकत	05.08.08	05.09.08	23	19.09.08	7
26.		न प जफराबाद	05.08.08	10.09.08	28	19.09.08	2
27.		न प खेतासराय	08.09.09	13.10.09	29	14.12.09	54
28.	कौशाम्बी	न प करारी	10.11.08	07.01.09	51	14.01.09 / 30.01.09 / 16.03.09	75 तक

29.		न प अजुहा	22.03.11	26.03.11	शून्य	24.04.11	21
30.		न प सिराथू	28.02.10	22.03.10	15	21.04.10	23
31.		न प भरवारी	10.11.08	26.03.11	870	27.04.11	24
32.		न पा प कोसीकला	28.08.09	22.02.10	167	30.03.10	31
33.		न प बाजना	05.08.08	03.10.08	52	14.10.08	4
34.		न प बरसाना	28.08.09	29.09.09	24	14.12.09	69
35.		न प महावन	06.09.09	26.11.09	73	18.10.10	46
36.		न प राधाकूण्ड	28.08.09	13.10.09	39	14.12.09	55
37.	मथुरा	न प छाता	28.08.09	01.10.09	27	14.12.09	67
38.		न प फराह	15.01.09	27.01.09	10	06.12.09 / 24.02.09	20 तक
39.		न प नन्दगांव	15.01.09	28.01.09	6	06.02.09 / 24.02.09	27 तक
40.		न प कटरामेदनीगंज	10.06.08	14.11.08	117	15.12.08	25
41.	प्रतापगढ़	न प अन्तू	10.06.08	10.11.08	123	15.12.08	28
42.		न प पट्टी	22.08.08	22.09.08	22	14.10.08	15
43.		न प नई बाजार	28.02.10	11.03.10	4	30.03.10	12
44.	संत	न प घोसिया	28.02.10	22.03.10	15	09.04.10	11
45.	रविदास	न प ज्ञानपुर	28.02.10	20.03.10	13	03.04.10	7
46.	नगर	न पा प गोपीगंज	28.02.10	19.03.10	12	03.04.10	8
47.		न पा प लहरपुर	28.08.09	29.01.10	147	06.03.10	30
48.		न पा प बिसुवां	28.08.08	17.11.08	74	02.12.08	8
49.	सीतापुर	न पा प खैराबाद	28.08.09	24.10.09	50	24.12.09	53
50.		न प सिधौली	28.08.09	12.10.09	38	16.12.09	57
51.		न प हरगांव	28.08.08	19.09.08	15	14.10.08	28
52.		न प ओबरा	08.09.09	22.03.10	188	21.04.10	23
53.		न प चुर्कडरमा	28.02.10	20.03.10	13	03.04.10	7
54.	सोनभद्र	न प पिपरी	28.02.10	19.03.10	12	03.04.10	7
55.		न प घोरावल	30.10.09	19.11.09	13	18.01.10	53
56.		न प दुद्धी	28.08.08	17.11.08	74	08.12.08	14
57.	सुल्तानपुर	न प कादीपुर	10.11.08	19.01.09	60 / 103	20.01.09 / 26.03.09	60 तक

परिशिष्ट-2.5
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.9 पृष्ठ सं.-28)
राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मार्गो / नालियों	प्रकाश	ढोस अपशिष्ट प्रबन्धन	जलापूर्ति	कम्यूनिटी सेन्टर	योग
1.	आजमगढ़	न पा प मुबारकपुर	54.53	—	—	—	—	54.53
2.		न प महाराजगंज	91.56	7.50	5.00	4.00	—	108.06
3.		न प बिलरियागंज	74.29	5.00	10.00	6.60	—	95.89
4.		न प निजामाबाद	71.03	2.00	4.00	1.00	—	78.03
5.		न प अतरौलिया	104.25	2.60	3.50	—	—	110.35
6.		न प सरायमीर	88.25	12.00	7.50	5.00	—	112.75
7.		न प जियानपुर	90.59	21.45	—	3.00	—	115.04
8.	बाराबंकी	न पा प नवाबगंज	115.43	—	—	—	—	115.43
9.		न प देवा	93.95	—	—	—	—	93.95
10.		न प हैदरगढ़	113.74	—	—	—	—	113.74
11.		न प फतेहपुर	114.78	—	—	—	—	114.78
12.		न प रामनगर	106.01	—	—	—	—	106.01
13.		न प जैदपुर	70.89	—	—	—	—	70.89
14.		न प सतरिख	86.68	—	—	—	—	86.68
15.		न प बंकी	109.15	3.64	—	—	—	112.79
16.		न प सिद्धौर	99.22	—	15.00	—	—	114.22
17.	फतेहपुर	न पा प बिन्दकी	110.77	—	—	2.57	—	113.34
18.	हरदोई	न पा प शाहाबाद	99.61	—	—	—	—	99.61
19.		न पा प पिहानी	113.00	—	—	—	—	113.00
20.		न पा प सण्डीला	55.03	—	—	—	—	55.03
21.		न प बेनीगंज	94.61	—	—	—	—	94.61
22.		न प गोपामऊ	111.47	—	—	—	—	111.47
23.		न प बिलग्राम	66.46	—	—	—	—	66.46
24.		न प माधोगंज	111.65	—	—	—	—	111.65
25.	जौनपुर	न प केराकत	114.33	—	—	—	—	114.33
26.		न प जफराबाद	114.95	—	—	—	—	114.95
27.		न प खेतासराय	112.88	—	—	—	—	112.88
28.	कौशाम्बी	न प करारी	89.27	22.85	—	—	—	112.12
29.		न प अजुहा	56.10	—	—	—	—	56.10
30.		न प सिराथू	54.49	—	—	—	—	54.49
31.		न प भरवारी	56.91	—	—	—	—	56.91
32.	मथुरा	न पा प कोसीकला	55.88	—	—	—	—	55.88
33.		न प बाजना	89.60	—	—	—	—	89.60
34.		न प बरसाना	113.54	—	—	—	—	113.54

35.		न प महावन	120.68	—	—	—	—	120.68
36.		न प राधाकुण्ड	55.56	—	—	—	—	55.56
37.		न प छाता	55.16	—	—	—	—	55.16
38.		न प फराह	92.11	—	—	—	—	92.11
39.		न प नन्दगांव	113.30	—	—	—	—	113.30
40.	प्रतापगढ़	न प कटरामेदनीगंज	62.06	—	—	—	—	62.06
41.		न प अन्तू	83.55	—	—	—	—	83.55
42.		न प पट्टी	100.65	—	13.80	—	—	114.45
43.	संत रविदास नगर	न प नई बाजार	111.92	—	—	—	—	111.92
44.		न प घोसिया	102.09	—	—	—	—	102.09
45.		न प ज्ञानपुर	55.20	—	—	—	—	55.20
46.		न पा प गोपीगंज	55.05	—	—	—	—	55.05
47.	सीतापुर	न पा प लहरपुर	102.33	—	—	—	—	102.33
48.		न पा प बिसवां	57.14	—	—	19.55	—	76.69
49.		न पा प खैराबाद	111.32	—	—	—	—	111.32
50.		न प सिधौली	55.11	—	—	—	—	55.11
51.		न प हरगांव	111.29	—	—	—	—	111.29
52.	सोनभद्र	न प ओबरा	112.17	—	—	—	—	112.17
53.		न प चुर्कडरमा	114.59	—	—	—	—	114.59
54.		न प पिपरी	90.05	—	—	—	—	90.05
55.		न प घोरावल	55.43	—	—	—	—	55.43
56.		न प दुद्धी	54.99	—	—	—	—	54.99
57.	सुल्तानपुर	न प कादीपुर	84.40	3.54	—	—	23.89	111.83
योग			5061.05	80.58	58.80	41.72	23.89	5266.04

परिशिष्ट-3.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2 पृष्ठ सं.-38)
अधिक व्यय

क्र. सं.	कार्य का नाम	टैक कोट का क्षेत्रफल (व.मी. में)	श्रम लागत को छोड़कर टैक कोट की दर (₹ प्रति व.मी.)	अतिरिक्त बिटुमन प्रयोग से अधिक दर (₹ प्रति व.मी.)	कुल अधिक भुगतान (₹ में)
1.	वार्ड 65 में बड़ी टिम्बर से जैनुल आबिद तक रोड/नाली की मरम्मत	8,177.985	18.04	9.02	73,765.00
2.	वार्ड 38 में आदित्य पुरी से धरमपुर चौराहा तक रोड की मरम्मत	7,163.60	18.04	9.02	64,616.00
3.	वार्ड 65 में वजरिया बाग में रोड/नाली की मरम्मत	11,872.62	18.04	9.02	1,07,091.00
4.	रसूलपुर वार्ड 55 में दशहरी बाग चौक से मुन्नी बेगम के मकान तक रोड की मरम्मत	4,364.24	16.81	8.40	36,660.00
5.	दिलजाकपुर वार्ड 56 में बबीना होटल से जटाशंकर चौराहा तक रोड की मरम्मत	6,708.42	16.81	8.40	56,351.00
6.	वार्ड 57 की सड़क (भाग-5) में हदथंवा फाटक से शंकर सोनकर तक रोड की मरम्मत	19,072.41	18.04	9.02	1,72,033.00
7.	वार्ड 10 में खजान्ची बाई पास से अम्बेदकर स्कूल तक पिचरोड का निर्माण	5,383.42	16.81	8.40	45,221.00
योग—		62,742.695			5,55,737.00 (₹ 5.56 लाख)